लोक-सभा वाद-विवाद
का
संक्षिप्त अनूदित संस्करण

SUMMARISED TRANSLATED VERSION
OF

4th
LOK SABHA DEBATES

[ग्यारहवां सत्र
Eleventh Session]

[खण्ड 44 में अंक 21 से 29 तक हैं
Vol. XLIV contains Nos. 21 to 29]

लोक-सभा सचिवालय
नई दिल्ली

LOK SABHA SECRETARIAT
NEW DELHI

मूल्य : एक रुपया

Price : One Rupee

विषय-सूची/CONTENTS

अंक 24, शनिवार, 29 अगस्त, 1970/7 भाद्र, 1892 (शक)

No. 24, Saturday, August 29, 1970/Bhadra 7, 1892 (Saka)

विषय	SUBJECT
पेटेंट विधेयक	Patents Bill
संयुक्त समिति द्वारा प्रतिवेदित रूप में विधेयक पर विचार करने का प्रस्ताव	Motion to consider, as reported by Joint Committee
श्री दिनेश सिंह	Shri Dinesh Singh
डा० सुशीला नैयर	Dr. Sushila Nayar
श्री प्रेम चन्द्र वर्मा	Shri Prem Chand Verma
श्री नारायण दांडेकर	Shri N. Dandeker
श्री नम्बियार	Shri Nambiar
श्री ही० ना० मुकर्जी	Shri H. N. Mukerjee
श्री तुलसी दास जादव	Shri Tulshidas Jadhav
श्री कंवर लाल गुप्त	Shri Kanwar Lal Gupta
श्री एस० कन्डप्पन	Shri S. Kandappan
श्री क० ना० तिवारी	Shri K. N. Tiwary
श्री शिव चन्द्र झा	Shri Shiva Chandra Jha
श्री समर गुह	Shri Samar Guha
श्री रणधीर सिंह	Shri Randhir Singh
श्री तेन्नेटी विश्वनाथम	Shri Tenneti Viswanatham
श्री भोलानाथ मास्टर	Shri Bhola Nath Master
श्री शिवनारायण	Shri Sheo Narain
खंड 2 से 163 और 1	Clauses 2 to 163 and 1
विधेयक को संशोधित रूप में पास किये जाने का प्रस्ताव	Motion to pass, as amended
डा० सुशीला नैयर	Dr. Sushila Nayar
श्री बेणी शंकर शर्मा	Shri Beni Shanker Sharma

लोक सभा

LOK SABHA

शनिवार, 29 अगस्त, 1970/7 भाद्र, 1892 (शक)
Saturday, August 29, 1970/Bhadra 7, 1892 (Saka)

लोक-सभा ग्यारह बजे समवेत हुई
The Lok Sabha met at Eleven of the Clock

[**अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए**
Mr. Speaker *in the Chair*]

पेटेंट विधेयक
PATENTS BILL

अध्यक्ष महोदय : श्री दिनेश सिंह

संसद कार्य और नौवहन तथा परिवहन मंत्री (श्री रघुरामैया) : इससे पहले क्या आप समय निर्धारित करेंगे । . . . . . .

श्री पीलू मोडी (गोधरा) : सबसे पहले मैं कुछ कहना चाहता हूं ।

अध्यक्ष महोदय : सबसे पहले ? बात क्या है ?

श्री पीलू मोडी (गोधरा) : इस विषय पर चर्चा होने से पूर्व मैं एक-दो बातें कहना चाहता हूं । इस सभा में जिस प्रक्रिया का हम अनुसरण करते आ रहे हैं, उसको धीरे-धीरे समाप्त किया जा रहा है । कल हमने इस सम्बन्ध में अपना विरोध प्रकट किया था । मेरा इससे कोई मतलब नहीं है कि इस विधेयक का विषय क्या है । यदि यह विधेयक साम्यवादी दल पर रोक लगाने के बारे में भी होता तो भी मैं इसका विरोध ही करता, क्योंकि इस सभा के नियमों को न केवल सरकार की अपितु अल्पमत समूह के विचार का संरक्षण करना है, अल्पमत समूह के विचारों का संरक्षण किस प्रकार से किया जा सकता है जब इन नियमों को सरकार मनमाने ढंग पर बहुमत के बल पर बदल दे ? इसी सभा में पहले यह प्रस्ताव पारित किया गया था कि शनिवार को सभा की बैठक नहीं होगी, परन्तु सरकार ने बहुमत के आधार पर इसको बदल दिया, इससे यह भय उत्पन्न हो गया है कि सदस्यों का सभा के नियमों से विश्वास उठ रहा है । अतएव मेरा यह कहना है कि इस तथ्य को देखते हुए आज की कार्यवाही पूर्णतः अवैध है, यदि मुझे अनुमति दी जाये तो मैं इस पर प्रस्ताव पेश कर सकता हूं ।

अध्यक्ष महोदय : मैं श्री मोडी की चिन्ता समझता हूं । यह सही है कि अध्यक्ष का विनिर्णय है कि नियमों का निलम्बन अत्यावश्यक परिस्थितियों में ही किया जाना चाहिए । परन्तु जब कल मंत्री महोदय उठे थे तो सभी सदस्य इसके समर्थन में उठ खड़े हुए थे । मैं आशा करता हूं कि आपकी कठिनाई समझ गए होंगे ।

औद्योगिक विकास तथा आन्तरिक व्यापार मंत्री (श्री दिनेश सिंह) : मैं प्रस्ताव करता हूं "कि पेटेन्ट सम्बन्धी विधि को संशोधित तथा समेकित करने वाले विधेयक पर, संयुक्त समिति द्वारा प्रतिवेदित रूप में विचार किया जाये।"

माननीय सदस्य इस बात से तो अवगत होंगे कि पेटेन्ट निर्धारित करने का विचार कानूनी तथा सामाजिक औचित्य पर आधारित है। पहला, यह कि पेटेंट एक निजी सम्पत्ति है यथा आविष्कर्त्ताओं को अपने आविष्कार पर विशेष अधिकार है और दूसरा, सरकार ने इस सम्बन्ध में उन्हें सीमित अवधि के लिए विशेष अधिकार दिये हैं ताकि अनुसंधान और आविष्कार को प्रोत्साहन मिले और अनुसंधानकर्त्ताओं को औद्योगिक संभावनाओं के लिए अपने आविष्कार को प्रस्तुत करने का अवसर मिले जिससे कि आर्थिक विकास के लिए नए-नए मार्ग खुल सकें, फिर भी हमें देश की वर्तमान सामाजिक तथा आर्थिक स्थितियों के परिप्रेक्ष्य में इन बातों पर विचार करना पड़ेगा, हमें यह देखना होगा कि हम किस प्रकार इन पेटेन्ट का उपयोग देश की आवश्यकता को पूरा करने में कर सकते हैं। विकासशील देश होने के नाते, जहां कि बड़ी संख्या में पेटेन्ट विदेशी स्वामित्व वाले हैं, हमें यह भी देखना है कि क्या पेटेन्ट व्यवस्था के द्वारा हम विकसित देशों से टेक्नौलोजी की जानकारी लाभपूर्ण तरीके से यहां ला सकते हैं और क्या इससे बड़े पैमाने पर शोषण होगा, हमें यह भी देखना है कि क्या हम इस कार्य में अन्तर्ग्रस्त विभिन्न हितों के आपसी सम्बन्धों को बनाए रख सकते हैं जैसे कि आविष्कर्ता की अपने आविष्कार में हानि शोधकार्य को प्रोत्साहन देने का सामाजिक हित, आविष्कृत वस्तु का फल उपभोक्ताओं द्वारा उचित मूल्यों पर भोगा जाना तथा देश के आर्थिक विकास में वृद्धि करना आदि।

हमारा प्रयास इस विधेयक में इन सब बातों का ध्यान रखने का है ताकि वे हमारे राष्ट्रीय हितों का संरक्षण करने में सफल सिद्ध हों। इससे उन विकासशील देशों के लिए मार्ग-निर्देशन का कार्य भी होगा जिनकी स्थिति हमारी तरह है।

पेटेन्ट पर वर्तमान भारतीय कानून भारतीय पेटेन्ट तथा डिजाइन अधिनियम, 1911 पर आधारित है। गत 59 वर्षों से विश्व तथा भारत में बड़े पैमाने पर प्रगति हुई है। यह सच है कि 1911 के अधिनियम को समय-समय पर संशोधित किया जाता रहा है परन्तु फिर भी यह स्पष्ट है कि भारतीय पेटेन्ट अधिनियम में अद्यतन-परिस्थितियों के अनुसार परिवर्तन करने की आवश्यकता है। हमारे जैसे देश में, जहां कि अर्थव्यवस्था तेजी के साथ गतिशील औद्योगिक अर्थव्यवस्था में परिवर्तित होती जा रही है, इस प्रकार का संशोधन आवश्यक है। पेटेन्ट के विषय पर दो बार जांच कराई गई थी, पहली जांच कार्यवाही डा० बक्शी टेक चन्द की अध्यक्षता में हुई थी जिसने 1950 में अपना प्रतिवेदन दिया था तथा दूसरी जांच कार्यवाही श्री एन० राजगोपाल अय्यंगर की अध्यक्षता में हुई थी जिसने 1959 में अपना प्रतिवेदन दिया था। इन दो प्रतिवेदनों में पेटेन्ट व्यवस्था के मूल तथा विकास के बारे में बहुत महत्वपूर्ण सूचनाएं निहित हैं। अपने विभिन्न अध्ययनों के आधार पर इन समितियों ने पेटेन्ट से संबंधित भारतीय कानून में संशोधन करने की सिफारिश की थी ताकि यह पेटेन्ट व्यवस्था हमारे औद्योगिक तथा आर्थिक विकास के लिए प्रभावी साधन के रूप में कार्य कर सके।

दोनों समितियों ने इस तथ्य को स्वीकार किया है कि भारत को पेटेन्ट व्यवस्था से कोई अधिक लाभ नहीं मिला है। परन्तु उन्होंने यह भी कहा है कि पेटेन्ट व्यवस्था को बनाए रखना

भारत के हित में है। श्री अय्यंगार ने अपने प्रतिवेदन में इस बात की सिफ़ारिश की है कि भारतीय पेटेन्ट और डिजाइन अधिनियम 1911 को संशोधित तथा पुनरीक्षित किया जाये जिससे कि देश की वर्तमान परिस्थितियों में यह औद्योगिक तथा प्रौद्योगिकी आवश्यकताओं को पूरा कर सके।

पेटेन्ट विधेयक 1965 मुख्यतः उनके प्रतिवेदन में निहित सिफारिशों पर आधारित है और यह 21 सितम्बर 1965 को लोक सभा में प्रस्तुत किया गया था, 25 नवम्बर 1965 को यह विधेयक संसद की संयुक्त समिति को दिया गया था। संयुक्त समिति का प्रतिवेदन संशोधित विधेयक के साथ लोक सभा में 1 नवम्बर 1966 को प्रस्तुत किया गया था। संयुक्त समिति द्वारा प्रतिवेदित रूप में यह पेटेन्ट विधेयक 1965, 5 दिसम्बर 1966 को लोक सभा में प्रस्तुत किया गया था परन्तु समय के अभाव में इस पर आगे कार्यवाही न हो सकी और 3 मार्च 1967 को तीसरी लोक सभा की समाप्ती पर यह भी समाप्त हो गया।

पेटेन्ट विधेयक, 1967, जिसमें पेटेन्ट से सम्बन्ध रखने वाली विधि को संशोधित करने तथा समेकित करने के बारे में विस्तृत व्यवस्था है, 12 अगस्त 1967 को नये विधेयक के रूप में यहां प्रस्तुत किया गया था। 1967 के इस विधेयक को संसद की दूसरी संयुक्त समिति को सौंपा गया था, इस समिति ने अपना प्रतिवेदन संशोधित रूप में 27 फरवरी 1970 को लोकसभा में प्रस्तुत किया था।

पेटेन्ट विधेयक 1967 में पेटेन्ट के सम्बन्ध में व्यापक विधि बनाने सम्बन्धी बातें हैं जिसका कि राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ेगा। यह विधेयक इस तथ्य को स्वीकार करता है कि देश में औद्योगिक विकास के लिए नए आविष्कारों को प्रोत्साहन देना चाहिए।

संयुक्त समिति ने खण्ड 2 (1) के सम्बन्ध में एक महत्वपूर्ण संशोधन किया है जो कि कीटनाशी, फफूंदनाशी, फासातिनाशी आदि औषधियों को भी "औषधि" या 'दवा' के क्षेत्र में लाने के बारे में है। इस विधेयक द्वारा उन आविष्कारों को भी संहिता बद्ध करने की व्यवस्था की गई है जो कि पेटेन्ट नहीं की जा सकती हैं। अब तक पेटेन्ट ब्रिटिश पद्धति के आधार पर की जाती है परन्तु प्रौद्योगिकी विकास और आविष्कारों के क्षेत्र के बढ़ने से यह अपेक्षित हो गया है कि इस उद्देश्य के लिए विधि में विशेष व्यवस्था हो।

विधेयक की एक अन्य महत्वपूर्ण विशेषता यह है कि इसमें खाद्य, औद्योगिक तथा रसायन को इसके कार्यक्षेत्र में शामिल करने के लिए विशेष व्यवस्था की गई है, पेटेन्ट केवल निर्माण प्रक्रिया के लिए दिया जायेगा न कि निर्मित वस्तु के लिए।

सरकार ने 1963, में भारतीय प्रतिरक्षा नियम, 1962 तथा 1968 में संशोधित वर्तमान अधिनियम के अन्तर्गत, पेटेन्ट तथा डिजाइन नियन्त्रक को यह निदेश दिये कि खाद्य, औषधों तथा भेषजों के क्षेत्र में पेटेन्ट के लिए दिए गए आवेदन-पत्रों पर विचार स्थगित रखें। परन्तु अब नये अधिनियम के अन्तर्गत इन आवेदन पत्रों पर विचार किया जायेगा।

इस विधेयक म एक अत्यधिक महत्वपूर्ण व्यवस्था यह की गई है कि नये अधिनियम के अन्तर्गत खंड 47 म उल्लिखित शर्तों को पूरा करने पर ही पेटेन्ट दिया जायेगा। इस खंड के अन्तर्गत सरकार को किसी भी पेटेन्ट किए हुए आविष्कार को अपने प्रयोग में लाने का अधिकार है और सरकार को पेटेन्ट की हुई वस्तुओं को आयात करने का भी अधिकार है। सरकार इसके लिए पेटेन्ट कराने वाले को कुछ भी रायल्टी दे सकती है।

इस विधेयक में आगे यह व्यवस्था की गई है कि खाद्य, औषधियों से सम्बन्धित पेटेन्ट की अवधि 16 वर्ष के स्थान पर 7 वर्ष की होगी तथा अन्य वस्तुओं की पेटेन्ट की अवधि 16 वर्ष के स्थान पर 14 वर्ष की होगी। आज विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी तेजी के साथ प्रगति करते जा रहे हैं जिसका तात्पर्य यह है कि नए आविष्कार शीघ्र ही पुराने पड़ जाते हैं। अतएव पेटेन्ट की अवधि को कम करने की आवश्यकता हुई।

इस विधेयक में यह व्यवस्था की हुई है कि खाद्य, औषधि अथवा रसायन के मामले में पेटेन्ट देते समय इसके तीन वर्ष पश्चात अधिकार के लिए लाईसेंस की सुविधा देनी पड़ेगी, पेटेन्ट कराने वाले कार्य को ऐसे लाईसेंसों के लिए दी जाने वाली रायल्टी आदि शुद्ध निर्माण विक्रय मूल्य से पांच प्रतिशत अधिक नहीं होनी चाहिए। इस प्रकार की व्यवस्था करने की आवश्यकता इन वस्तुओं को प्रयाप्त मात्रा में जनता को सुलभ कराने के लिए तथा एकाधिकारी प्रवृतिओं से इसे बचाने के लिए हुई है।

विधेयक का एक अन्य महत्वपूर्ण पहलू पेटेन्ट के न चलने पर उसको रद्द किए जाने से है। इस व्यवस्था का उद्देश्य भारत में पेटेन्ट कराने वाले को इसको चालू रखने के लिए उचित कार्य-वाही करने से है। विधेयक में यह व्यवस्था की हुई है कि पेटेन्ट के अन्तर्गत अनिवार्य लाईसेंस के आरम्भ होने की तिथि से तीन वर्ष की समाप्ति के पश्चात केन्द्रीय सरकार का कोई भी इच्छुक व्यक्ति पेटेन्ट को किन्हीं कारणों से रद्द कराने के लिए नियन्त्रक को आवेदन पत्र दे सकता है। इस विधेयक में यह भी व्यवस्था की हुई है कि पेटेन्ट और डिजाइन के नियन्त्रक को आवेदन-पत्र का निपटान एक वर्ष में ही कर लेना चाहिए।

इस विधेयक में यह भी निहित है कि सरकार विशिष्ट परिस्थितियों में पेटेन्ट की हुई वस्तु को आयात करने के लिए लाइसेन्सधारी व्यक्ति को अधिकार दे सकती है। इस विधेयक द्वारा सरकार को यह भी अधिकार मिला हुआ है कि वह जनहित के लिए किसी वस्तु के आविष्कार के अधिकार को ले सकती है बशर्ते कि वह पेटेन्ट कराने वाले को उचित क्षतिपूर्ति दे, यह भी व्यवस्था की हुई है कि पेटेन्ट और डिजाइन नियन्त्रक के विरुद्ध अपील उच्च न्यायालय में की जा सकती है और इन अपीलों पर निर्णय अपील करने की तिथि से 12 महीने में कर देना चाहिए।

इस विधेयक में यह व्यवस्था भी की हुई है कि ट्रेड एण्ड मर्चेण्डाइस मार्क्स एक्ट 1958 में निहित उपबन्धों के अन्तर्गत किसी बस्तु के आविष्कार को संरक्षण प्रदान करने के लिए विदेशों के साथ द्विपक्षीय या बहुपक्षीय आधार पर व्यवस्था की जा सकती है। पेटेन्ट और डिजाइन नियन्त्रक को यह भी अधिकार दिया हुआ है कि पेटेन्ट की हुई वस्तु के कार्य के बारे में सूचना एकत्रित करके जनहित की दृष्टि में उसे प्रकाशित करे। इस विधेयक का मुख्य उद्देश्य अनुसंधान तथा आविष्कार को बढ़ावा देना है तथा एकाधिकारी प्रवृत्ति को हतोत्साहित करके औद्योगिक प्रगति की गति प्रदान करना है।

इस बात में कोई संदेह नहीं है कि इस विधेयक का उद्देश्य अनुसंधान को बढ़ावा देना है। इसमें यह आशा की गई है कि पेटेन्ट कराने वाले व्यक्ति को अपने आविष्कार का लाभ उठाने का पर्याप्त अवसर मिले। इस प्रकार उसको आधुनिक प्रौद्योगिकी की सुविधाएं निर्बाध रूप से देने का आश्वासन दिया गया है। इस विधेयक द्वारा सरकार को यह ठीक ही अधिकार दिया हुआ है कि वह आवश्यकता पड़ने पर आहार, औषधियों तथा रसायनों का आयात तथा निर्माण कर सकती है।

संयुक्त प्रवर समिति ने इस विधेयक की भलि-भांति जांच की है तथा इसमें सर्वसम्मति का प्रतिनिधित्व है।

मैं यह प्रस्ताव करता हूं कि पेटेन्ट विधेयक 1967 को विचारार्थ लिया जाये।

अध्यक्ष महोदय : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ :–

"पेटेन्ट सम्बन्धी विधि को संशोधित तथा समेकित करने वाले विधेयक पर, संयुक्त समिति द्वारा प्रतिवेदित रूप में, विचार किया जाये।"

इस पर चर्चा करने के लिए समय 10 घंटे रखा गया है, 4 घंटे सामान्य चर्चा के लिए, 4 घंटे खंड वार चर्चा करने के लिए और 2 घंटे तीसरे पाठन के लिए रखे गए हैं।

श्रीमती सुशीला नैय्यर (झांसी) : इस विधेयक के इतिहास पर दृष्टि डालने से यह पता चलेगा कि इस पर कई समितियां बिठाई गई और इस विधि के संशोधन हेतु कई बहुमूल्य सुझाव प्रस्तुत किये गये, मन्त्री महोदय ने दो समितियों के बारे में बताया है। न्यायधीश टेकचन्द ने अपने प्रतिवेदन में, जो 1950 में प्रस्तुत की गई थी, बताया था कि भारत में लागू होने वाले सभी पेटेन्टों में 10 प्रतिशत भारतीयों के थे। न्यायाधीश राजगोपाल अय्यंगार ने भी यह बात बताई है। भारतीय पेटेन्ट 10 प्रतिशत से भी अधिक नहीं थे। इससे यह पता चलता है कि स्वतन्त्रता के पश्चात भी विदेशियों को पेटेन्ट का लाभ मिलता रहा है। यदि आप समूचे पेटेन्ट में औषधि का क्षेत्र देखेंगे तो पायेंगे कि भारतीयों को दिए गए 10 प्रतिशत पेटेन्ट में केवल 5 प्रतिशत ही औषधियों के बारे में है।

औषधि उद्योग में काफ़ी लाभ मिलता रहा है। यदि आप औषधि निर्माण करने वाली बड़ी कम्पनियों का हिसाब-किताब देखेंगे तो यह पायेंगे कि मूलतः पूंजी बहुत कम लगाई हुई है। बड़े औषधि निर्माता कंपनियों के पास बड़े-बड़े भवन, उपकरण आदि हैं और वे अपने अंशधारियों को अच्छा लाभांश देते हैं। यह सब उन्हें यहां से लाभ कमाने पर मिलता है। यह उनका पूंजी निवेश नहीं है अपितु यहां अर्जित किया गया लाभ है।

जब पिंपरी पेनिसिलिन बाजार में बिक्री के लिए आई तो पेनिसिलिन का मूल्य बहुत कम हो गया था, पिंपरी ने बहुत लाभ कमाया, इस लाभ से उसने अपने कारखाने का विस्तार किया और उन्होंने कई अन्य औषधियों का निर्माण करना आरम्भ किया। अब यह अनुमान लगाया जा सकता है कि पिंपरी पेनिसिलिन के बाजार में आने से पूर्व उन्होंने कितना लाभ अर्जित किया था, औषधि और रसायन दुःखी मानवता के लिए बड़ा आवश्यक है। उनके लिए औषधियों का मूल्य बड़े महत्व का है। सभी व्यक्तियों की यही आकांक्षा है कि उच्च कोटि की औषधियां बाजार में उचित मूल्य पर उपलब्ध हो सकें।

यह विधेयक संसद में बड़ी ही जल्दी में लाया गया है और वह भी इस लिए कि सरकार की अस्त-व्यस्त नीतियों के कारण गत कुछ सप्ताहों तथा महीनों से औषधियों के मूल्यों में भारी वृद्धि हो रही है। इस विषय पर इस सभा में भी अनेक बार चर्चा उठी है परन्तु अन्ततः परिणाम यह निकला है कि कुछ दवाओं को छोड़ शेष दवाओं के मूल्य बहुत ही बढ़ गए हैं या फिर वे दवाइयां ही बाजार से गायब हो गई हैं तथा काला बाजार में बिकना आरम्भ हो गई है। यह स्थिति हर हाल में रोकी जानी चाहिए और यदि यह संशोधित अधिनियम पास हो जाता है तो सरकार को इस

स्थिति का कारगर ढंग से मुकाबला करने की शक्ति प्राप्त हो जायेगी और यदि सरकार चाहेगी तो स्थिति को सुधार सकेगी। देश के बीमार तथा संतप्त लोगों के हितों के लिये यह कार्यवाही बड़ी ही आवश्यक तथा महत्त्वपूर्ण है।

पेटेन्ट विधेयक के बारे में वर्ष 1948 से ही विभिन्न समितियों का गठन होता रहा है तथा इसके विभिन्न पहलुओं पर विचार होता आया है और अब एक नया विधेयक पेश किया गया है। पेटेन्ट कानून के इतिहास को देखने से पता चलता है कि वर्ष 1905 से पूर्व संसार भर में कहीं भी औषध पेटेन्ट प्रणाली नहीं थी। तथा आज भी कोई भी डाक्टर शल्य चिकित्सक अथवा अनुसंधान-वेत्ता इन आविष्कारों का किसी भी प्रकार उपयोग कर सकता है। अतः आज भी इन पेटेन्टों का कोई खास महत्त्व नहीं है। प्राचीन समय में वैद्य तथा हकीम अपने मूल्यवान नुस्खों को गोपनीय रखते थे तथा उनका भेद केवल अपने पुत्रों या प्रवर्तकों को ही देते थे। परन्तु प्रत्येक व्यक्ति ने इस प्रथा की आलोचना की है। सबसे पहले जर्मनी में वर्ष 1905 में सलवरसन का आविष्कार किया गया तथा इसके पश्चात अनेक पेटेन्ट आने आरम्भ हो गए। इससे यह लाभ हुआ कि लोगों को नये नये आविष्कारों के लिए धन लगा कर लाभ कमाने का प्रोत्साहन मिला और गत 50 वर्षों में इस क्षेत्र में जो प्रगति हुई है वह उक्त अवधि से पूर्व के सारे समय की प्रगति से कहीं अधिक है।

फिर भी यह बात तो माननी ही होगी कि इस प्रकार के लाभों पर कोई नियन्त्रण तो होना ही चाहिये। औषध निर्माताओं का कहना है कि जितने उत्पादों का वे आविष्कार करते हैं वे सभी तो औषध नहीं बन पाते तथा फिर उन औषधों में भी सभी औषध तो सफल नहीं हो पातीं। अतः उन्हें सफल औषधों से अधिकाधिक लाभ कमाना चाहिये ताकि उनका आविष्कार तथा विकास सम्बन्धी खर्च पूरा हो सके।

कुछ वर्ष हुए अमरीकी सीनेट ने इस विषय में केफोवर समिति का गठन किया था जिसने औषध उद्योग के खर्च तथा उसकी समस्याओं के बारे में जांच की थी। उस समिति ने निष्कर्ष निकाला कि औषध उद्योग 6 प्रतिशत तो अनुसंधान पर खर्च करता है तथा 25 प्रतिशत अन्य विक्रय संवर्द्धन पर खर्च करता है। इस प्रकार अनुसंधान पर तो थोड़ा खर्च होता है परन्तु विक्रय संवर्द्धन तथा विज्ञापनों पर अधिक इस लिए खर्च किया जाता है क्योंकि बाजार में इसी प्रकार अनेक औषधों विभिन्न नामों तथा मार्कों से बिकती हैं तथा बिचारे रोगी को दोनों में भेद करना होता है। कई बार तो विभिन्न डाक्टर एक ही पदार्थ को विभिन्न नामों से निर्धारित कर देते हैं। सरकार ऐसी कार्यवाही करे कि विभिन्न नामों से एक ही वस्तु का बार-बार उत्पादन बन्द हो। कई देशों में ऐसा किया गया है तथा हम भी ऐसा कर सकते हैं। इससे देश के लोगों को कुछ राहत मिलेगी।

दूसरी बात तैयार औषधियों को पेटेन्ट करने की है। यह प्रणाली वस्तुतः अत्याधिक लाभार्जन का माध्यम है, इसे रोका जाना चाहिए ताकि सामान्य जनों के हितों की रक्षा हो सके।

अब क्योंकि इस नये पेटेन्ट कानून से औषध निर्माताओं के लाभार्जन पर कुप्रभाव पड़ेगा। अतः वे लोग इन वर्तमान कानूनों के संशोधन में अनेक रुकावटें उत्पन्न करने का प्रयास कर रहे हैं। प्रथम प्रवर समिति के प्रतिवेदनों पर सभा में चर्चा नहीं होने दी गई। डर तो हमें दूसरे प्रतिवेदन के भी चर्चित न हो सकने का था परन्तु हमें प्रसन्नता है कि ऐसा नहीं हुआ और यह विधेयक सभा में पेश हो गया है।

यह अच्छा है कि इस विधेयक ने औषध तथा भेषज तथा कुछ दूसरी प्रकार के आविष्कारों में परस्पर भेद प्रकट कर दिया है। यदि कोई व्यक्ति अपने पेटेन्टों से लाभ उठाना चाहता है तो उसके लिए 7 वर्ष की अवधि पर्याप्त है। परन्तु वे लोग तो ऐसा करते हैं कि किसी चीज का आविष्कार करने से पूर्व ही उसे पेटेन्ट करा लेते हैं ताकि कोई अन्य निर्माता ऐसा न कर सके तथा फिर बाद में अपनी स्वेच्छा से चाहे जितनी अवधि में उस आविष्कार तथा निर्माण को पूरा करते हैं। इसी बीच वे ऐसी विशिष्ट औषधियों का आयात कर लेते हैं तथा इस प्रकार पेटेन्ट कानूनों के अधीन अपना एकाधिकार जमा लेते हैं। समाचार पत्रों में प्रायः ये खबरें आती हैं किस प्रकार देश में कुछ औषधों के इतने मूल्य वसूल किये जाते हैं जो अन्य देशों के मूल्यों की तुलना में 100 गुना, 500 गुना तथा यहां तक कि 1000 गुना भी अधिक होते हैं। यह चीज सामान्य लोगों की भुगतान क्षमता तथा औषध के मूल्यों के मध्य एक विपरीत अनुपात की एक विचित्र-सी स्थिति उत्पन्न करती है। इसका मुख्य कारण पेटेन्ट प्रणाली का कुप्रभाव है और दुर्भाग्य से यह हमारे देश में प्रचलित है।

ब्रिटेन में सरकार को यह अधिकार है कि वह अपने उपयोगों के लिए औषधों का आयात कर ले परन्तु हमें यहां के एकाधिकारियों के ऊपर निर्भर रहना पड़ता है। परन्तु अब इस विधेयक में यह व्यवस्था की गई है कि सरकार अस्पतालों, चिकित्सालयों तथा अन्य संस्थानों के लिए न लाभ न हानि के आधार पर आयात कर सकती है। इसमें लोगों को तुरन्त राहत मिलेगी तथा बाहरी देशों से बहुत सस्ते मूल्यों पर औषधियां उपलब्ध हो सकेंगी। इन औषध निर्माताओं का एकाधिकार समाप्त होगा तथा सामान्यता लोगों को बड़ी राहत मिलेगी।

इस विधेयक में अन्य कई व्यवस्थाएं भी हैं जो कि बड़ी ही लाभकारी हैं। परन्तु कुछ उपबन्धों पर पुनर्विचार किया जाना चाहिये। ऐसा खन्डवार विचार के समय किया जा सकता है। पांच प्रतिशत की रायल्टी अधिक है। साथ ही वर्तमान व्यवस्था में लायसेंस सम्बन्धी उपबन्ध में अनेक शर्तें लगा दी गई हैं। इन उपबन्धों की भाषा मूल अधिनियम जैसी ही रहनी चाहिये।

मैं इस विधेयक का स्वागत करती हूं तथा आशा करती हूं कि सरकार इस कानून का पूरा पूरा लाभ उठायेगी। देश की संतप्त मानवता के हित में यह विधेयक पारित किया जाना चाहिये।

Shri Prem Chand Verma (Hamirpur) : Mr. Speaker, first of all, I congratulate the Government and specially the Industrial Development Minister who has succeeded the bringing this bill before the House. Mr. Speaker you and the Minister of Parliamentary Affairs have also greately contributed towards making that possible. I had thought that on account of conspiracy and strange attitude of certain people, this Bill would not be brought here. You will be surprised to know that many tactics were adopted for barring this Bill and the big companies which have interest in this matter tried their best to see that this Bill is not passed in this session. However, the House ultimately decided that this Bill should be brought here today and I hope this Bill would be passed by this evening and all conspiracies hatched against it would be foiled.

Mr. Speaker, there are many points of details on which we would speak where the Bill is taken up for clause by clause consideration. But the most important thing is that in the Industry a monopoly system has developed which is mostly profiting the foreign companies. Most of the patents prevalent in India are owned by foreign Companies. The hon'ble Minister had stated that India has only ten percent of the total patents and these too are being used by foreign companies in a *benami* manner in collusion with some Indians. This Bill takes special note of all these things. Much protest is being voiced on the pretext that this Bill would hamper Indus-

trial development because people would not have freedom to manufacture new type of things. In my opinion this contention is wrong. The people of India, if an opportunity is provided to them, can manufacture all kinds of things. An attempt has been made in this Bill to remove the grip of foreign companies on our Industry. In order to establish a socialist society it is essential that all Industries are not concentrated in the hands of a few persons. For instance, a major portion of drug Industry is owned by the Sarabhai concern. There are other similar Companies. They take undue advantage of the present position. Therefore, the people wedded to socialism believe that necessary amendments must be made in the Law of patents.

I find that no provision has been made in this Bill to check the bogus medicines which are sold to the people through wrong propaganda. For instance, the so called stimulants propagated as useful "before marriage and aftere marriage." I do not know whether the Hon'ble Ministry has any experience of these drugs or not, because besides our youngmen the old people also use them.

Shri Dinesh Singh : Not yet.

Shri Prem Chand Verma : This matter is very important. A provision in this Bill should be made to authorise the Controller General to have and analyse the formula of those bogus medicines which are given wide publicity through Press, Posters and Cinema. A number of lives are ruined by these people. When the youngmen ruined their lives by using these medicines, they are not able to complain to any body about it. The health of entire nation is being affected by these kind of things and the whole nation has to suffer the loss. Therefore, the Minister should pay particular attention to this aspect.

It has been emphasised, and there are a number of amendments in this regard, that the time limit of patents should not be reduced, and that it should be enhanced. I think that the time limit of patents should not be increased; the need is to check the continued looting that is going on. A time limit of seven years has been fixed in the Bill for the medicines. It is more than sufficient and it should not be enhanced further. The limit should not be more than ten years for articles other than medicines.

The Royalty has been fixed at five per cent. I think it is too much. It should not be more than four percent. As a matter of fact, even four per cent is on the high side, but if it is not possible to reduce it, it should not be more than four per cent in any case. As a matter of fact, two or two and a half per cent is justified and reasonable.

A provision should also be made in this Bill for an enquiry as to how many of the foreign Companies have been taking undue advantage in partnership or under *benami* proprietorships with Indians and necessary steps should be taken to stop it.

Very good suggestions have been made in the Tek Chand and the Iyengar Committee Reports. Although the Bill incorporates a number of suggestions certain things have been left out also. The Minister should take necessary steps in this regard. In this connection I would like to mention certain things.

When a company earns profit by using a patent, a fixed portion or a definite amount out of the profit should be spent on research work. Now-a-days the whole profit is kept by the companies. As Dr. Nayar has said, these big companies manufacturing medicines and food articles earn profits from the consumers. A provision should be made that these companies do not utilize the entire money for their own benefit. It should be ensured that money is also spent on the industrial and technological development of the country and on the research work.

The Government should also evolve a machinery which would see that the article for which a patent is being given is not priced too high by the manufacturer. If the price is not controlled at the time of giving the patent, it would be difficult to do so later on. After all,

the purpose of granting the patent is to control the prices and to provide the quality articles to the people at reasonable rates.

It is also essential that from time to time there should be checking of the quality of patented medicines. Now-a-days bogus penicillin and calcium is being sold in the market. The people are being robbed through supply to them of bogus and inferior medicines and their health is being ruined. Even deaths have occurred as a result of such medicines. We are a socialist democratic country. A democratic Government has got full authority to take any measure in the national and public interest.

Shri Samar Guha (Contai) : Is it a socialist Government ?

Shri Prem Chad Verma : Of course, ours is a socialist Government.

Shri Samar Guha : This is a Radio Socialist Government.

Shri Prem Chand Verma : Mr. Speaker, I would like to submit that use and acquision of a thing by Government without giving any relief is also justified. I would to go to the extent of saying that relief should be given only if something is acquired for commercial purpose; but if a thing is used by the Government for hospitals or for the purposes of other public welfare, it is not injustice to acquire it without giving any relief or compensation. As a matter of fact it is a question of doing justice to the poor. I congratulate the hon'ble Minister that he has made such a provision in this Bill.

Secondly, I would like to say that we should consider this Bill without involving party politics and self-interest so that it may prove to be a model to the whole world and other countries may also profit from it. India is a large country and if it becomes successful in this field, the people of the rest of the world can also take advantage of it. I have received one or two memoranda that a definite time-limit should be fixed. It is not clear as to whether the time-limit would start from the date a person applies for the patent or when the controller General accepts it or when it is notified in the Gazatte or when the party concerned receives the sanction. It is, therefore, necessary to bear in mind that the people, who wish to manufacture new things and are engaged in the development of science, are not put to loss; they should be given incentive and encouragement so that they may continue to work in the field with vigour and zeal. We have to keep in mind both the aspects of the thing. On the one hand, the poor should not be robbed and monopolist system should be abolished, and, on the other, the persons engaged in the development of Industry, science and technology are helped and their genuine demands and complaints are looked into and accepted. There should be a definite time-limit, because the Controller General keeps the papers pending for a period of two years and then it takes another two years to notify them. If a period of four years passes like this, the manufacturer is naturally put to loss. I think that an enactment of laws by Government does not aim to harm anyb dy. Its purpose always is to regulate a matter so that neither the manufacturer nor the consumers are put to any loss. With these words, I support the Bill and hope that the Bill would be passed by this evening.

श्री नारायण दाण्डेकर (जामनगर) : इस विधेयक के विषय में अब तक हुई चर्चा को सुनकर ऐसा लगता है कि इस विधेयक के उद्देश्यों तथा उक्त उद्देश्यों को प्राप्त करने के साधनों के बारे में पर्याप्त भ्रान्ति पाई जाती है। कुछ पेटेन्ट उत्पादों के ऊंचे मूल्यों, कुछ औषध निर्माताओं की एकाधिकार मान्यताओं तथा कई अन्य विभिन्न बातों के बारे में यहां काफ़ी कुछ तथा अधिकांशत ठीक ही कहा गया है। परन्तु प्रश्न यह है कि क्या यह विधेयक एकाधिकारवाद तथा एकाधिकार मान्यताओं पर अंकुश रखने के लिए बनाया गया है ? परन्तु इसके लिये तो हमने कुछ ही दिन पूर्व एकाधिकार तथा बंधक व्यापार प्रथा विधेयक पारित किया गया है। इस उद्देश्य के लिये मनाफ़ा-

खोरी तथा आवश्यक औषधों तथा भेषजों के आयात पर विदेशी मुद्रा के व्यय के विषय पर काफी चर्चा की गई थी । मुझे उक्त बुराइयों को रोकने हेतु व्यवस्था करने के साधनों अथवा उद्देश्यों पर कोई आपत्ति नहीं है परन्तु यदि यह विधेयक मूल्यों को नियंत्रित करने एकाधिकार प्रथाओं को प्रतिबंधित करने अथवा विदेशी मुद्रा के व्यय पर नियंत्रण करने के उद्देश्य से पेश किया गया है तो मैं निवेदन करूंगा कि इस बारे में तो सरकार के पास पहले से ही प्रयाप्त शक्तियां हैं । यह सभा पहले ही ऐसे कानून पास कर चुकी है । इस के अतिरिक्त सरकार एकाधिकार प्रथाओं तथा बंधक व्यापार प्रथाओं को नियंत्रित करने के लिये तंत्र तैयार कर रही है ।

अतः इस विधेयक के उद्देश्यों तथा साधनों के बारे में काफ़ी भ्रान्ति फैली हुई है और यह भ्रान्ति कम से कम मंत्री महोदय के मस्तिष्क में तो नहीं होनी चाहिये थी ।

वस्तुतः किसी पेटेन्ट कानून का उद्देश्य क्या होता है ? पेटेन्ट क़ानून का उद्देश्य किसी की निजी सम्पत्ति को मान्यता देना नहीं होता जैसा कि मंत्री महोदय ने कहा है । इस क़ानून का पहला तो उद्देश्य यह है कि लोगों को अनुसंधान तथा अविष्कार करने तथा इन कार्यों पर अपना धन लगाने का प्रोत्साहन दिया जाये । अतः इसके लिए निर्माता को कुछ समय के लिये तथा कुछ शर्तों पर उसके इस अविष्कार पर स्वामित्व अधिकार दिया जाता है जिस पर उसने अपने धन तथा संसाधन लगाये हैं ।

अतः मैं स्पष्ट करना चाहता हूं कि न तो इस विधयक का ही यह उद्देश्य है और न ही पेटेन्ट कानून का उद्देश्य ही कोई निजी सम्पत्ति स्थापित की जाये । पेटेन्ट क़ानून का अभिप्राय तो विभिन्न अविष्कारों पर अपना धन, समय तथा सभी अन्य संसाधन लगाने को प्रोत्साहित करने का है । परन्तु क्या उक्त विधेयक इस उद्देश्य हेतु अपेक्षित उपबन्धों का समावेश है ? साथ ही अविष्कार किसी उत्पाद का भी हो सकता है तो किसी प्रक्रिया या मशीन का भी हो सकता है या फिर किसी डिज़ाइन का भी हो सकता है ।

दूसरे सरकार को मालूम होना चाहिये कि अनुसंधान तथा विकास पर कितना व्यय होना है । मंत्री महोदय ने इस महत्वपूर्ण पहलू का तो उल्लेख तक नहीं किया है अनुसंधान तथा विकास पर राष्ट्रीय प्रयोगशाला द्वारा किये जाने वाले व्यय के आंकड़े क्या हैं ? केन्द्रीय वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद के अधीन हमारी विभिन्न प्रयोगशालायें लाखों करोड़ों रुपये खर्च कर रही हैं । ब्रिटेन में सरकारी क्षेत्र के अधीन 9000 लाख रुपये ख़र्च होते हैं । इनके अतिरिक्त ग़ैर सरकारी क्षेत्र में भी भारी ख़र्च होता है । फिर आजकल यह कार्य व्यक्तिगत रूप में नहीं बरन् संस्थागत रूप से किया जाता है तथा पहले रुपयों की अपेक्षा आज अधिक ख़र्च करना पड़ता है । इस बात को दृष्टि में रखते हुए यह कुछ अनिवार्य-सा हो गया है कि इस अनुसंधान और विकास के कार्य को किसी भी तरह निरुत्साहित नहीं किया जाना चाहिये तथा इस कार्य को सर्वाधिक प्राथमिकता दी जानी चाहिये और यह कार्य स्वामित्व अधिकार देकर अधिक अच्छी तरह किया जा सकता है । यदि पेटेन्ट क़ानून बनाने का यही उद्देश्य है तो यह प्रश्न सामने आता है कि क्या यह विधेयक इस विशिष्ट उद्देश्य को सार्थक करता है । हमें यह देखना है कि पेटेन्ट संबंधी विधि के लिए तर्क तथा वास्तविक औचित्य हेतु एवम् पेटेन्ट शुदा वस्तु में निजी स्वामित्व अधिकारों को मानने के लिये क्या यह विधेयक उक्त विशिष्ट उद्देश्य को प्राप्त हो सकेगा ? उपरोक्त सभी बातों को ध्यान में रखकर ही सभा को इस विधेयक पर विचार करना चाहिये ।

इस विधेयक में सब से प्रथम बात पेटेन्ट की अवधि से संबंधित है । खण्ड 53, जो कि दवाओं, भेषजों तथा कीटनाशक आदि दवाओं से संबंधित है, के अनुसार उक्त दवाओं के लिये पेटेन्ट

की अवधि केवल 7 वर्ष है। यह अवधि तो केवल प्रक्रिया पेटेन्ट के लिये ही है जबकि क़ानून के अनुसार कुल अवधि ही केवल 7 वर्ष रखी गई है। वस्तुतः यह अवधि बड़ी ही हास्यस्पद प्रतीत होती है। फिर मंत्री महोदय को हमारी राष्ट्रीय प्रयोगशालाओं से रासायनिक प्रक्रियाओं पर होने वाले व्यय के आंकड़े प्राप्त हो सकते थे। साथ ही इस सात वर्ष की अवधि में से कम से कम दो वर्ष तो पेटेन्ट के न्यायोचित होने, किसी की नक़ल न होने आदि का पता जानने में ही व्यतीत हो जाते हैं। कई आवश्यक जांच करनी होती हैं। अतः इतनी कम अवधि के लिये पेटेन्ट प्राप्त करने के लिये लोग प्रोत्साहित नहीं होगें।

मंत्री महोदय को अपने विषय के बारे में पूरी जानकारी प्राप्त नहीं है। जो कुछ उन्होंने यहां कहा है। वह उनके कार्यालय के अधिकारियों ने तैयार किया है। संभव है कुछ विशिष्ट उत्पादों के लिये यह अवधि पर्याप्त हो परन्तु अधिकांश उत्पादों के लिये यह अवधि केवल "प्रक्रिया पेटेन्ट" सी प्रतति होती है। अतः इस संबंध में गंभीरता से तथा वास्तविकता को सामने रखकर विचार करने की आवश्यकता है।

खण्ड 47 के अधीन सरकार को एक ऐसा असाधारण अधिकार प्राप्त है जिसके अनुसार सरकार बिना कोई मुआवजा दिये किसी भी पेटेन्ट को समाप्त कर सकती है। यह बड़ी ही उल्लेखनीय बात है। यह हो सकता है कि औषधों तथा भेषजों के पेटेन्टों के बारे में यह अधिकार रहे क्योंकि देश में स्वास्थ्य सेवाओं का अधिकाधिक विकास होना चाहिये। परन्तु सभी उत्पायों अथवा प्रक्रियाओं के बारे में यह कदाचित न्यायसंगत नहीं है। उप-खण्ड (4) के अनुसार तो सरकार को किसी प्रकार के पेटेन्ट से लाभ उठाने अथवा उपकरण, नमूने या किसी भी वस्तु के संबंध में एक असाधारण अधिकार प्राप्त होना है। यदि सरकार यही चाहती है कि पेटेन्ट होने ही नहीं चाहिये तो वह ऐसा घोषित करे कि अविष्कारक हमेशा डटे रहेंगे तथा जिस भी चीज का वह अविष्कार करेंगे तुरन्त ही उसका राष्ट्रीयकरण कर दिया जायेगा। परन्तु इसके साथ ही साथ लोकतन्त्रवाद तथा व्यक्तिगत स्वातंत्रय की बात भी नहीं की जानी चाहिए। किसी व्यक्ति को उसकी मेहनत के लाभ से वंचित नहीं किया जाना चाहिए।

इस विधेयक के खण्ड 87 में कुछ पेटेन्टों को "अधिकार की अनुज्ञप्तियां" की परिभाषा में रखा गया है। इसका अर्थ यह होगा कि जिसके पास कतिपय पेटेन्ट होंगे वह उनके अधिकार का लाभ उठा सकता है। साथ ही इसका यह भी मतलब होगा कि कोई भी व्यक्ति बिना किसी योग्यता के भेषजों तथा औषधों का लाभ उठा सकता है क्योंकि यह अधिकार की अनुज्ञप्ति है और कोई भी अविष्कारक तथा पेटेन्ट-धारी इस पर आपत्ति नहीं कर सकता। यह तो किसी के भी न समझने में आने वाली बात है। निश्चय ही सरकार का स्वास्थ्य मंत्रालय तथा भेषज नियंत्रण विभाग ने औषधों तथा भेषजों के निर्माण संबंधी स्तर के बारे में कोई न कोई मानदण्ड तो बनाया ही होगा परन्तु ऐसा प्रतीत होता है कि सरकार के विचार इस बारे में बड़े ही भ्रांति पूर्ण हैं। वस्तुतः सरकार किस उद्देश्य को प्राप्त करने का प्रयास कर रही है तथा उन उद्देश्यों को प्राप्त करने का सही तरीक़ा क्या है? जो उद्देश्य सरकार इस विधेयक के द्वारा प्राप्त करना चाहती है वे तो अन्य तरीक़ों से भी प्राप्त किये जा सकते हैं। इससे मेरा यह अभिप्राय नहीं है कि गैर सरकारी उद्योगों के एकाधिकारों को नियंत्रित न किया जाये। वह तो होना ही चाहिये। यहां तो प्रश्न यह है कि यह विधेयक बड़ा भ्रांति पूर्ण है। क्या पेटेन्ट संबंधी क़ानून के ये उद्देश्य होने चाहियें? यह विधेयक तो वास्तव में हमें न केवल उपहास का पात्र बनायेगा बल्कि इसके कारण देश की प्रगति में भी बाधा पड़ेगी कुछ गैर जरूरी पेटेन्टों तथा अविष्कारों के सिवाय अब इस बात की थोड़ी सी भी संभावना

नहीं रह गई है कि कोई विदेशी अथवा भारतीय औषध निर्माता यहां औषधियों के अनुसंधान और विकास में अपना धन लगायेगा अथवा कि अपने मूल्यवान समय तथा परिश्रम को व्यर्थ ही नष्ट करेगा या कि लोगों को प्रशिक्षण देने में अपने संसाधनों को बेकार करेगा। कोई कितना बड़ा वैज्ञानिक या डाक्ट्रेट की डिग्री रखने वाला क्यों न हो उसे आवश्यक तकनीक, हुनर, प्रक्रिया तथा एक अनुसंधानकर्त्ता तथा विकास कार्यकर्त्ता के रूप में नैपुण्य प्राप्त करने के लिये समय की आवश्यकता होती है। यह विधेयक देश में इस प्रकार की गतिविधियों को प्रोत्साहित नहीं करेगा।

अतः मेरा सुझाव है कि नृशंस बहुमत के आधार पर पेश किये गये इस विधेयक को समुचित विचार के लिए वापस कर दिया जाये।

अध्यक्ष महोदय : श्री नम्बियार !

श्री कंवर लाल गुप्त (दिल्ली-सदर) : श्रीमन, मुझे पहले बोलने का अवसर दीजिये क्योंकि एक स्वतंत्र दल के पश्चात् मेरे दल की बारी आती है तथा दूसरे मुझे मध्यान्ह के पश्चात् एक बैठक में भाग लेना है। यहां ऐसी प्रक्रिया रही है कि दलों को उनकी सदस्य संख्या के हिसाब से समय दिया जाता है।

अध्यक्ष महोदय : किसी सदस्य को अपने विवेकानुसार बुलाने का मेरा अधिकार है। साथ ही, यदि किसी सदस्य को पहले समय चाहिये तो उसे मुझे कुछ समय-पूर्व इसकी जानकारी देनी चाहिये। माननीय सदस्य श्री कंवर लाल गुप्त चाहे जब खड़े होकर विरोध प्रकट करने लगते हैं। मैं यह सहन नहीं करूंगा।

श्री कंवर लाल गुप्त : मैं इस का घोर विरोध करता हूं।

श्री निम्बयार (तिरूचिरापल्लि) : मैं पेटेन्ट विधेयक का पक्का समर्थक हूं परन्तु इस संबंध में मेरी आलोचना यही है कि यह विधेयक देश में अपेक्षित स्तर की व्यवस्था करने के लिये काफ़ी नहीं है। हमारे देश की जन संख्या 55 करोड़ है और यहां इतनी अधिक जन शक्ति तथा प्राकृतिक पदार्थ-संसाधन उपलब्ध हैं; हमें अपने ही निजी फार्मेसियुटिकल उद्योग का तथा ऐसे उद्योगों का विकास करना है जो हमें खाद्य सामग्री तथा अन्य आवश्यक वस्तुयें उपलब्ध कराते हैं।

अब तक हम पेटेन्ट अधिनियम 1911 के अनुसार कार्य करते आये हैं। यह विधेयक हमारे देश में विदेशी सत्ता के समय बनाया गया था तथा जितने थोड़े से फार्मेसियुटिकल उद्योग थे उनके समस्त अधिकार तथा विशेषाधिकार विदेशियों के पास थे जो हमारे देश को लूटने के लिये ही यहां आये थे। अब 60 वर्ष गुजरने के बाद तथा स्वाधीनता के 22 वर्षों के बाद भी अपने ही निजी फार्मेसियुटिकल तथा अन्य खाद्य सामग्री उद्योगों को स्थापित न करने की बात से मुझे बड़ा आश्चर्य होता है।

श्री दाण्डेकर ने कहा कि किसी व्यक्ति को, जिसके पास न तो क्षमता है और न ही इसके बारे में कोई ज्ञान है, औषधियों तथा अन्य वस्तुओं का उत्पादन करने के लिये अकस्मात् ही अधिकार की अनुज्ञप्ति मिल जायेगी तथा यह एक अपराध ही होगा। परन्तु मैं पूछता हूं कि इनमें हानि ही क्या है ? जिसे इस संबंध में पर्याप्त जानकारी हो उसमें क्षमता हो तो वह यह कार्य कर सकता है। इसमें कैसी हानि ? तथा क्या अपराध की बात हैं ? वह यह तो देखें कि देश के अधिकांश

फार्मेसियुटिकल उद्योगों पर विदेशियों का स्वामित्व है तथा जो पेटेन्ट इन वर्षों में जारी किये गये हैं उन पर उनका एकाधिकार है । जब एक पेटेन्ट जारी हो जाता है तो चौदह वर्ष तक कोई अन्य इस क्षेत्र में पदार्पण नहीं कर सकता ।

इसी बात को देखते हुए हमारे देश को उत्पादन में आगे आना चाहिये ताकि देशवासियों को लाभ पहुंचे और इसी कारण इस क़ानून में आमूलचूल परिवर्तन की आवश्यकता है । मैं तो कहूंगा कि 1911 के पेटेन्ट अधिनियम को समाप्त कर दिया जाना चाहिये तथा पेटेन्ट अधिकारों को ही समाप्त कर दिया जाना चाहिये ताकि यहां के सक्षम लोग सामान्य जनता के लिये आवश्यक वस्तुओं का उत्पादन करने के लिये आगे आ सकें । हमारे यहां आज ऐसी अनेक वस्तुएं हैं जिनकी उत्पादन लागत तो केवल 10 पैसे हैं परन्तु विक्रय मूल्य एक रुपया दो रुपये तथा तीन रुपये भी है ।

श्री रामकिशन गुप्ता (हिसार) : श्रीमन, सभा में गण पूर्ति नहीं है ।

अध्यक्ष महोदय : घण्टी बजायी जा रही है.....और अब गणपूर्ति है ।

श्री नम्बियार : इस प्रश्न पर विचार करने वाली प्रवर समिति ने विदेशियों से मौखिक रूप से गवाही ली थी और इन विदेशियों की नामावली से सिद्ध हो जायेगा कि किस प्रकार विदेशी लोग इस उद्योग में रुचि रखते हैं । अनेक देशों से लोग यहां आते हैं । इन विदेशियों ने हमारे पेटेन्ट विधेयक का घोर विरोध किया है । उनका कहना है कि उनके देश में उनके पेटेन्टों की रक्षा की जाती है और इसीलिये उनका देश प्रगति कर रहा है । इसी प्रकार की सलाह ये लोग हमारे देश को भी देते हैं । परन्तु यह भी दिखाई देता है कि इटली, जापान तथा रूस आदि देशों में पहले पेटेन्ट-सुरक्षा की पद्धति नहीं थी वहां अभी हाल ही में कुछ ऐसी बातें जारी की गई हैं । ये सभी देश फार्मेसियुटिकल वस्तुओं के उत्पादन में अग्रगामी हैं । अतः ये लोग पेटेन्टों की सुरक्षा प्राप्त करके मनचाहा लाभ उठाना चाहते हैं । उनके यहां के राजनीतिज्ञों पर भी प्रभाव है जो कि उनका यहां प्रतिनिधित्व करते हैं । न जाने ऐसे लोगों को क्या मिलता है ? अतः हमें अपने निजी उद्योग का विकास करना चाहिये । पेटेन्ट विधेयक 1911 के कारण हमारे वैज्ञानिक उद्योगपति तथा निर्माता यहां के लिये आवश्यक पदार्थों का निर्माण नहीं कर पाते और इसी लिये हम चाहते है कि यह पेटेन्ट क़ानून एकदम समाप्त हो जाये । औषधों तथा आवश्यक खाद्य पदार्थों के पेटेन्टों की सुरक्षा के बारे में एक 10 वर्षीय समझौता किया गया था । बाद में प्रवार समिति में सरकार ने इसे घटाकर 7 वर्ष कर दिया जबकि हम इस अवधि को 5 वर्ष से अधिक नहीं चाहते थे । इस अवधि में कोई निर्माणकर्त्ता अपनी पूंजी भली प्रकार वसूल कर सकता है ।

अब संविधान के अनुसार मुआवज़ा देना होता है अन्यथा किसी चीज़ को अधिकार में नहीं लिया जा सकता । अब इस विधेयक के बाद देश में दो प्रकार के पेटेन्ट हो जायेंगे क्योंकि पेटेन्ट अधिनियम 1911 के अधीन दिये जा चुके अधिकारों को संसद वापस नहीं ले सकती । मुआवजा देकर ये अधिकार वापस लिये जा सकते हैं । अतः इन अधिकारों को शेष 10 या 7 वर्ष तक और आगे क्यों जारी रहने दिया जाये ? इन्हें भी पांच या सात वर्ष तक सीमित कर दिया जाए ।

स्वामित्व लाभ के बारे में विधेयक में चार प्रतिशत का जिक्र किया गया है ।हम चाहते थे कि इससे कम हो परन्तु दुर्भाग्य से इसे बढ़ाकर अब 5 प्रतिशत कर दिया गया है । संभवतः अधिक धन देने की नियत से ऐसा किया गया है । हमने उसका विरोध किया था ।

मुआवजा देने की भी एक समस्या है जो कि बड़ी गम्भीर है । हम अधिक धन नहीं दे सकते । अतः इस पर प्रतिबंध लगाना होगा ।

इन मूल टिप्पणियों के साथ मैं विधेयक का स्वागत करता हूं परन्तु साथ ही यह भी कहता हूं कि यह विधेयक सन्तोषजनक नहीं है । मुझे आशा है कि सरकार दूसरे वाचन के समय कुछ सुझावों को स्वीकार कर लेगी और यही देश के लोगों के लिये हितकारी होगा ।

श्री हो०ना० मुकर्जी (कलकत्ता उत्तर पूर्व) : श्रीमन, वस्तुतः तो यह विधेयक अपने उद्देश्य की तुलना में पर्याप्त नहीं है परन्तु हम इसका समर्थन इस आधार पर करते हैं कि चलो, न से अच्छा कुछ तो है । प्रस्तुत विधेयक को पेश करने का विचार 1953 में किया गया और तीसरी लोक सभा के दौरान भी अनिर्णीत ही रहा । अब चौथी लोक सभा के दौरान कुछ दबाव के कारण यह विधेयक विचारार्थ आया है । मेरी समझ में इसका कोई कारण नहीं कि स्वाधीनता के पश्चात् भी हम इस 1911 के विधेयक को समाप्त नहीं कर सकते । सरकार तो हमेशा ही पुरानी लकीरों पर चलती आई है । इस सम्बंध में सरकार पर विदेशी कम्पनियों तथा उनके साथ सहयोग करने वाले भारतीयों का दबाव है । जीवन बचाने वाली औषधियां तथा बच्चों, गर्भवती स्त्रियों तथा रोगी लोगों के लिये खाद्य के उत्पादन पर कोई पेटेन्ट कानून नहीं लागू होना चाहिये । परन्तु सरकार तो उल्टे स्वामित्व लाभ की दर भी 3 प्रतिशत से बढ़ाकर 5 प्रतिशत कर रही है ।

श्री दाण्डेकर ने वैज्ञानिकों तथा अविष्कारकों को प्रोत्साहन देने की बात कही परन्तु मुझे विश्वास है कि हमारे वैज्ञानिक तथा अविष्कारक मुनाफ़ा खोरी के आदर्श पर नहीं चलते । होता तो यह है कि उन्हें अपने मालिक के हितों को देखना पड़ता है और इस प्रकार वैज्ञानिकों की प्रतिभा पूंजीपतियों के चंगुल में फंसी रहती है । यदि हमारे वैज्ञानिकों की प्रतिभा का समुचित लाभ लोगों में पहुंचे तो देश की अनेक गंभीर समस्यायें भी हल हो सकती हैं ।

स्वामित्व लाभ की प्रतिशतता में सरकार ने जो वृद्धि की है वह वांछनीय नहीं है । स्वामित्व अधिकारों के विषय में सरकार को बिना किसी डर के लोगों के हितों को सर्वोपरि रखना चाहिये ।

बड़े बड़े औषध निर्माता, विशेष रूप से विदेशी कम्पनियां तथा उनके सहयोग करने वाली भारतीय कम्पनियां वस्तुतः हमारे देश के लोगों का शोषण कर रही हैं उनका रक्त चूस रही हैं । एक अमरीकी कम्पनी ने केवल 20.50 डालर प्रति किलोग्राम की लागत वाली औषध को अपनी सहयोगी भारतीय फर्म को 1060 डालर प्रति किलोगाम की दर से बेचा । इस विदेशी कम्पनी का नाम "मर्क" (MERCK) है । इसी प्रकार अमरीकी सहयोग के साथ भारत में कार्य कर रही स्विस कंपनी सीबा (CIBA) भी अपने देश के दूतावास के माध्यम से भारत सरकार को यह धमकी दे रही है कि यदि उसे काफ़ी लाभ नहीं लेने दिया गया तो वह अपना कार्य बन्द कर देगी । इसी कम्पनी ने क्यूबा गणतंत्र को भी यही धमकी दी थी तथा उसे कार्यान्वित भी किया था । परन्तु क्यूबा ने उसके बन्द हो जाने की कोई चिन्ता नहीं की । हमें भी इसी प्रकार ऐसी धमकियों की परवाह नहीं करनी चाहिये तथा अपने उद्देश्यों को प्राप्त करने को अग्रसर रहना चाहियें ।

'टाईम्स आफ इंडिया' के एक समाचार के अनुसार अमरीकी कांग्रेस समिति के अध्यक्ष श्री नेलसन ने कहा था--दुनिया में ऐसा कोई भी विकासाधीन देश नहीं है जो किसी अमरीकी

कम्पनी के शोषण से बच सकता हो। अन्य ब्यौरा यह भी प्रकट करता है कि मूल्य यूरोपीय प्रतियोगिता मूल्यों में 300 प्रतिशत से लेकर 11,364 प्रतिशत की वृद्धि हुई। इसी प्रकार के शोषण तथा लाभ कमाने की वृत्ति के अनेक उदाहरण मिलते हैं।

हमारा कोई संरक्षण न होने के कारण वे किसी प्रकार के दंड के भय के बिना मनमानी करते हैं। हमारे मन में ऐसी एक भावना पैदा हो गई है कि वैज्ञानिक आविष्कार और पेटेन्ट केवल गैर सरकारी क्षेत्र के प्रयत्नों का परिणाम है। मंत्री महोदय को इस मामले में जानकारी कम मालूम होती है। उन्हें संसद को इस बात से अवगत कराना चाहिए था कि हमारी राष्ट्रीय प्रयोगशालाओं ने इस कार्य में कहां तक प्रगति की है और साधनों को तैयार करने में कितना व्यय होता है। संभव है कि राष्ट्रीय प्रयोगशालाओं में माल तैयार करने में जो खर्च होता है, वह गैर-सरकारी क्षेत्र से भी अधिक हो। हो सकता है कि यह दलील गलत हो। मगर यह मंत्री महोदय का कर्तव्य था कि वे हमें इसकी सही जानकारी देते। उन्हें यह बताना चाहिए कि राष्ट्रीय प्रयोगशालायें कैसे कार्य करती हैं। राष्ट्रीय प्रयोगशालाओं का कार्य हमारे देश के औद्योगिक विकास कार्यों के लिए क्यों उपयोग नहीं किया जाता ? मंत्री महोदय को इसका स्पष्टीकरण देना चाहिए।

अंग्रेज लोग जब भारत आये, यहां के जुलाहों को बेकार कर दिया। उन्होंने उन की रोजी रोटी छीन ली, उनकी हड्डी तोड़ दी। उन्होंने खुला शोषण किया और हर व्यक्ति का खून चूस लिया। इस शोषण की प्रक्रिया अब भी जारी रही है। हमें इस शोषण से लड़ना है। अतः पेटेन्ट का अधिकार बिल्कुल समाप्त किया जाना चाहिए। क्या जापान ने, जब आर्थिक क्षेत्र में विकास कर रहा था, पेटेन्ट के अधिकार की ओर ध्यान दिया था ? क्या सोवियत संघ ने पेटेन्ट का अधिकार दिया था ? नहीं। अतः हमें बिना पेटेन्ट के चलना है। देश में विदेशी सहयोगी और यहां के इने गिने लोग फल फूल रह हैं। इस को रोकने के लिए हमें कुछ न कुछ करना चाहिए। इस के लिए यह कानून अपर्याप्त है। फिर भी मैं इसका समर्थन करता हूं। हालांकि इस में बहुत सी कमियां हों क्योंकि कुछ न मिल जाने से थोड़ा मिलना अच्छा है।

अध्यक्ष महोदय : अब सदन मध्याह्न भोजन के लिए 2 बजे तक के लिए स्थगित होता हैं।

इसके पश्चात लोक सभा मध्याह्न भोजन के लिए दो बजे म० प० तक के लिए स्थगित हुई
The Lok Sabha then adjourned for lunch till fourteen of the clock

मध्यहन भोजन के पश्चात लोक सभा दो बजकर पांच मिन्ट म०प० पुनः समवेत हुई
The Lok Sabha reassembled after lunch at five minutes past fourteen at the clock

[उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए]
[Mr. Deputy Speaker *in the chair*]

Shri Tulshidas Jadhav (Baramati) : Mr. Speaker, this Patent Bill is of great importance for the Country. A Joint Committee was set up on it and it has been discussed in detail. The items which are patented on the basis of inventions are in great demand. It takes a long time to invent a thing and even then the people cannot benefit from it as they ought to. I am, therefore, of the view that the Patents Bill has been discussed in detail and now it should be passed as early as possible.

I support this Bill and want to say one or two things in this connection. A number of persons out of those who invent something are poor. Therefore, they must be provided with as many facilities and as much money as they require. This country could make progress only when such measures are adopted. In a developing country like ours we require many inventions, but due to the old structure much progress has not been made in this direction. Two-three persons in Sholapur have invented "Handloom ghota", after putting in considerable efforts and labour, but they are facing great difficulties. A feeling has developed in them that they should give up that work. As we have heard, in America, England and other countries of Europe, Governments provide all possible help to the inventors who develop new processes. They are encouraged and given good treatment but inventors in our country have to spend lots of money during the research period and moreover, instead of giving them encouragement, obstructions are also placed in their way.

I have just given you an example regarding the invention of a special part (ghota) of Powerloom by a person of Sholapur. He is writing me letters again and again in this regard, but no encouragement has been given to him. His machinery costs about 1200 rupees. He has been asked to bring his machinery here. No officer from here goes to see his machinery. Let by gone be by gone, in future we should work properly.

Instead of importing an item we should strive for import substitution through new inventions. In Sholapur, the position is such that it is not possible to get permit to import wood. In a developing country like ours the inventors should be given encouragement. It may be that Government's share may be more, but things should be done by giving them encouragement.

As my friend, Shri Dandekar stated that lakhs of rupees are spent on inventions during research work but a poor inventor get nothing out of those inventions. To-day people are making progress in science and technology.

I request the Government that where such type of inventions are expected it should give encouragement to research Centres and should help the Inventors by spending money.

Hon. Shri Dandekar has stated that the demand to call a meeting on Saturday is an irresponsible one. Shri Samer Guha has also raised an objection in this connection. I am of the view that a respectable member like Shri Dandekar should not say such things in respect of a majority decision of the House.

I do not like to take more time of the House. I support this Bill.

Shri Kanwar Lal Gupta (Delhi Sadar) : I think some useful provisions have been made in this Bill which were not included in the previous Bill and I welcome them: But I feel that it is wrong to make Patent law for a backward country like India. In case India has to progress, she should not have Patent Law. India should have this law after 10 years when it will be a fully developed country. We should consider this matter only after 10 years whether or not we should have Patent law for our country.

A question has been raised as to whether the country has been benefited by the patent law or not. The patent Law has been an instrument of exploitation uptil now and it has been standing in the way of our progress and because of that our people could not derive that benefit which otherwise they could have. The government had set up Patent Inquiry Committee. I want to quote from the Report of that Committee. It has been stated therein.

"The Indian patents system has faild in its main purpose namely to stimulate invention among Indians and to encourage the development and exploitation of new inventions for ndustrial purposes in the country so as to secure the benefits thereof to the largest section of public".

In my view The Patent Act has been harmful for India uptil now and it has benefited only foreigners. Sir, you are aware that there was no Patents Law in U.S.S.R., Italy and Japan in the initial stages. They made patents law only after these countries had developed. They copied foreign inventions freely in the first instance and as a result thereof the people got things at cheaper rates. Thereafter they made Patents Laws as and when they developed.

Similarly after the defeat of Germany in the world war I, the first step which the U.S.A. took was that she abolished the Patents law of Germany and they were benefited by it. In my opinion we should not have Patents law for atleast 10 years.

Some of our friends have pleaded that it would provide incentives and encouragement for development. In this connection I would like to quote Mr. Ford, the greatest industrialist of U.S.A. He was asked whether inventions would be carried on in the absence of Patents Law or not. He said : "I feel quite definitely it will be carried on."

It would be wrong to think that inventors have only profit motive in view. A question arises as to who will be benefited by this Patents law. It will benefit the financiers. Small Scientists will not be benefited by it.

The hon'ble Minister has stated that the country has been benefited by it. But in fact only foreigners have been benefited uptil now. It will be observed that a total of 14,656, patents were registered upto 1957 and among them there were only 1,663 Indian patents. It means that only 11 per cent patentees are Indians and 89 per cent are foreigners. It is clear that foreigners have been benefited by it. In U.S.A., there are only 10 per cent foreigners patentees and 90 per cent are Americans. We shall be benefited by Patents law only after our country has developed.

What percentage is being spent on research work in our country at present ? We are spending very little amount on this item in comparison with other countries. Even now our country cannot afford to spend that much amount on research work as other countries can spend. The result is that our young Scientist are unable to do inventions through patents which they aspire to do. What is happening ? Whenever our Scientists go for something, the foreigners come and get it registered as a patent and even thereafter they do not manufacture it. The result is that the way is blocked. In this manner the Act had been instrumental in blocking the development.

The patents of Indians are comparatively very small whereas the patents of foreigners are big ones and they earn crores of rupees. Drugs and similar other patents are held by foreigners. I demand that in case patents Law has to be there then patents of only Indians should be registered under it and the foreigners should not be eligible to get their patents registered. The government will argue that foreign countries will not register our patents. Let them not do it. How many patents of Indian have been registered in foreign countries ? The number of such patents is not more than one hundred in all. It is nominal. In view of this if patents Law has to be passed, it should be for Indians and foreigners should not be eligible to get their patents registered.

Even big industrialist do not spend much on research work. They must spend a part of their profit on research work and government should introduce a legislation to this effect.

The foreigners have been exploiting the poor people by getting their patents registered. They are charging many times more than the international rates for their medicines. I want to draw your attention towards two or three things. One Swiss firm has got patented tranquiliser and it was sold at Rs. 5,555 per Kg. in India in 1963-64. When a firm of Delhi purchased it from the open market abroad, they paid Rs. 312 per Kg. for the same. It means that the foreign firm is charging 20 times more by getting it patented. Similarly the rate of vitamin B-12 is Rs. 230 Kg. here but its international price is only 100 per Kg. There is another

patented drug called Taxamythazon. Its rate is Rs. 60,000 per Kg. When our Controller of Import put some pressure on them and told them that this rate was on the high side, they reduced it to Rs. 16,000. It means they wanted to charge four times. The poor people are being exploited in this manner because it is they who have to pay for it. In this way the development of our country is being hampered. This government is socialist by compulsion. It introduces half hearted measures. If it feels that poor people were being exploited, vested interests, were getting prosperous and that foreign monoply increases by the patents Law, why this law was not scrapped ten years before ? It will be proper to enforce patents Law only when our Scientists are in a position to come to the level of foreign Scientists, and our country is developed, otherwise this will be of no use.

The patents Law should not be applicable to food articles and drugs. The population of our country is nearly 50 crores. If patents Law is made applicable to these items, crores of rupees will go to foreign countries.

There are 14 foreign companies which are manufacturing drugs in India. Out of them 5 companies manage to get the total amount of their investment in 2 years by earning profit and 9 companies get the same in 4 years. The poor people are being looted and charge exorbitant prices but this government does not bother at all and they have no control over these foreign companies. This government wants to bring an end to the monoply of Indians. This is good. But why are they afraid of putting and end to foreign monoply ? The reason is that this government is under the influence and pressure of foreigners. They feel that if they put pressure on the companies of U.K. and U.S.A., they may not get money from their Five Year Plans. I charge this government that it is under heavy influence of vested interests.

This Bill empower the Government to purchase things outside the patents in the interests of the people, I welcome this step. But in so far as the question of compensation is concerned, it was 4 per cent in the original Bill, whereas the Select Committee has made it 5 per cent. This should be reduced. It should not be more than 3 per cent. I want—and I hope that the Hon'ble Minister would accept it—that the compensation should be 2 per cent and not more than 3 per cent in any case.

The Iyangar Committee, which was set up by Government, has stated :—

> "The advantages occurring to a nation's economy from rewarding inventions with the grant of exclusive privileges for limited time are dependent on two main factors : (1) the country must be technologically advanced to maintain the rate of invention which is brought forth by the promise of the reward."

The Committee is also of the view that unless the country is technically advanced, there will be no use of Patents law, it can prove even otherwise.

That Committee has also stated :

> "These patents are, therefore taken not in the interest of the economy of the country granting the patent or with a view to manufacture these but with the main object of protecting an export market from competition from rival manufacturers, particularly those in other parts of the world."

That is, the foreigners get their patents registered in order to avoid competition.

Some of the provisions of this Bill are of course useful, but I would like to emphasise that unless this country is technically advanced, there should not be any patent in this country for ten years.

श्री एस० कन्डप्पन (मैटूर) : श्रीमन् 1950 में बख्शी टेक चन्द समिति ने पेटेन्ट पर अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की थी। उसके बाद 1953 में लोक सभा में एक विधेयक लाया गया जोकि रद्द किया गया। उसके बाद अय्यंगर समिति ने 1959 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की। इन दोनों समितियों का विचार यह था कि वर्तमान पेटेन्ट कानून अपर्याप्त है। उन्होंने कहा कि वर्तमान पेटेन्ट कानून के अन्तर्गत विदेशी लोग इस के प्रावधानों का दुरुपयोग कर रहे हैं। उक्त समितियों ने इस को ठीक करने के कई सुझाव रख थे। परन्तु सरकार ने इस की ओर कोई ध्यान नहीं दिया है। 1965 में एक और विधेयक लाया गया और प्रवर समिति को विचारार्थ सौंप दिया गया। जब प्रवर समिति ने रिपोर्ट प्रस्तुत की तो वह रद्द कर दी गई थी। अब मैं यह सब इसीलिए कह रहा हूं क्योंकि यहां कई लोगों को भय है कि कहीं सरकार कुछ लोगों के दबाव में तो नहीं आ गई है प्रवर समिति ने कुछ प्रावधानों में संशोधन किया है। इस से सिद्ध होता है कि इस विधेयक में कमियां जरूर हैं और प्रगतिशोध दृष्टिकोण का अभाव है।

श्री दांडेकर ने पेटेन्ट के बारे में बहुत शक्तिशाली दलीलें प्रस्तुत की हैं। परन्तु केवल अमरीका, इंग्लैंड जैसे विकसित देश ही इससे फायदा उठा सकते हैं। भारत जैसे देश में जहां प्रतिव्यक्ति आय सब से कम होती है, पेटेन्ट का अधिकार कुछ मामलों में समाप्त किया जाना चाहिए। सरकार इस में कठिनाइयां महसूस करती है। कम से कम दवाइयों, बच्चों के खाद्यपदार्थों कीटाणुनाशक दवाइयों आदि के पेटेन्ट की अवधि कम कर दी जानी चाहिए। किसानों को कीटाणुनाशक दवाओं के लिए बहुत अधिक राशि खर्च करनी पड़ती है। एक ओर वे उर्वरक के लिए अधिक राशि खर्च करते हैं और दूसरी ओर कीटाणुनाशक दवाओं का मूल्य और सभी देशों की अपेक्षा सब से अधिक है। अतः इन चीजों को ध्यान में रखते हुए सरकार को इस विधेयक के कुछ प्रावधानों में संशोधन करना चाहिए।

एक यह गलत धारणा पैदा कर दी गई है कि पेटेन्ट के कानून को कठोर बना दिया जाएगा तो औद्योगिक विकास रुक जाएगा। श्री कंवरलाल गुप्त ने कुछ आंकड़े प्रस्तुत किये। मैं श्री टेक चन्द समिति और श्री राजगोपाल अय्यंगर समिति की रिपोर्टों के आधार पर कुछ और आंकड़े प्रस्तुत करूंगा। उन्होंने 1947-49 के बीच प्राप्त हो गए आवेदन पत्रों की एक तालिका दी है जिसके अनुसार 1947 में कुछ 2370 आवेदक पत्र प्राप्त हुए और उनमें से भारतीयों के केवल 222 थे। 1948 में कुल आवेदनपत्र 1921 थे जिसमें भारतीयों के 297 थे। 1949 में कुल 1725 आवेदन पत्र प्राप्त हुए जिनमें भारतीयों के 345 थे। 1947 में अमरीका वालों के 437 आवेदन प्रत्र प्राप्त हुए, 1948 में यह 273 थे और 1949 में 280 थ। ऊपर से देखा जाए तो लगेगा कि आवेदन पत्रों की संख्या में कमी हो रही है। यदि हम अय्यंगर समिति की रिपोर्ट को ध्यान से पढ़ेंगे। तो पता चलेगा कि विदेशियों द्वारा पेटेन्ट के अधिकार की मांग बढ़ गई है, जबकि भारतीयों की मांगे कम हो रही हैं। सरकार हमारे देशवासियों की भलाई के लिए कुछ करने में असमर्थ रही है। ये विदेशी लोग हमें लूट रहे हैं। कई सालों के बाद अब सरकार यह विधेयक लाई है जो कई अंशों में अपर्याप्त है जैसा मैंने पहले कहा कुछ चीजों के पेटेन्ट की अवधि 7 साल से 5 साल तक कम कर दी जानी चाहिए आशा है कि सरकार इस संशोधन को स्वीकार करेगी और पेटेन्ट की अवधि कम करेगी।

स्वामित्व (royalty) के बारे में कहते वक्त मुझ एक महत्वपूर्ण बात की ओर सरकार का ध्यान दिलाना पड़ता है। इस समय स्वामित्व 1/2 प्रतिशत से लेकर 2 1/2 प्रतिशत तक

दिया जाता है। राजगोपाल अय्यांगर की रिपोर्ट में खास तौर पर बताया गया है कि भारत में विदेशी स्वामित्व के अन्तर्गत जो भी चीज आती है, यहां के बाजार में उसकी बहुत बड़ी मांग होती है। अतः 1/2 प्रतिशत स्वामित्व भी बहुत अधिक होता है। स्वामित्व की दर कम कर दी जाए, तब भी विदेशी लोग भारत के बाजार की ओर आकृष्ट होंगे, क्योंकि यहां मांग बहुत अधिक होती है। अतः मेरा निवेदन है कि स्वामित्व की वर्तमान दर कम से कम 3 प्रतिशत तक कम कर दी जानी चाहिए।

अंत में मुझे एक अन्य महत्वपूर्ण बात के बारे में कहना है। ऐसा लगता है कि पेटेन्ट के मामले में सरकार ने बुनियादी तौर पर गलत रवैया अपना लिया है। माननीय मंत्री महोदय ने कहा कि आविष्कार को प्रोत्साहन देना चाहिए ताकि वह अपने आविष्कार को प्रकट करे। यह सिद्धान्त मेरी समझ में नहीं आता। किसी व्यक्ति को अपना आविष्कार प्रकट करने के लिए किसी प्रकार के प्रलोभन की आवश्यकता नहीं है। यह उसके हित में है कि वह इसे प्रकट करे। लगता है कि सरकार बदली हुई परिस्थितियों के प्रति अनभिज्ञ है। पेटेन्ट और स्वामित्व के बारे में उनका विचार 1911 अधिनियम द्वारा नियंत्रित है। यह रवैया बदल दिया जाना चाहिए।

मैं इस विधेयक का स्वागत करता हूं और साथ ही साथ मंत्री महोदय से निवेदन करता हूं कि जो दो-तीन संशोधन है, वे उनको स्वीकार करें।

Shri K.N. Tiwari (Baitia) : Mr. Deputy Speaker, Sir, the period of ten years has been reduced to seven years. My fear is that 3 or 4 years will be taken up in processing the cases for patents, obtaining licences, doing research work and arranging for the funds. There would thus be left a period of two or three years. During this period the persons like indigenous researchers or those who want to invest money or to get patent for some thing after having research work done it would be losing most. Foreign companies would not lose much because they would be able to get good return of their investment due to the fact that the drugs manufactured by them would be sold out due to their goodwill. For example if some one falls ill in the family, we would always prefer to go to an reputed Chemist and purchase from him a well-known medicine for the treatment. Thus, the well-known companies or drugs would not have any difficulties. But the actual difficulty would arise in case of indigenous people. My submission, in this regard, is that the period of seven years would not suffice. It would result in creating an indifference towards proper research and people would not be spending money on research work. Therefore, the period should be extended.

I have had some opportunity to study the Report. Actually they have given nothing to the people. What was given earlier has now been withdrawn. It is also argued that the royalty of five per cent which the manufacturers would get was too much. But the experience show that they could not get more than 3 or 3½ per cent. Five percent is the maximum limit. They could give one per cent, two per cent or three per cent also. So far as the question of research is concerned—the Hon. Minister is a professor and he must be knowing it much amount is not required for undertaking research work on things like lip-stick, while lakhs and crores of rupees would be required for research on Thysis, T.B. and other such diseases. No body will be prepared to invest money when there is no profit in it and he realises that the period of seven years was actually reduced to three or four years. There are only two ways to deal with the problem. Either the country should have enough money to be invested in research work and on manufacture of life-saving drugs or if we do not have sufficient funds for the purpose, the foreign companies that have money should be given some encouragement to invest their money in our country. Those companies will make investment here only when they realise that they will earn some profit. Therefore, what is in the interest

of the country is a matter which should be considered seriously. More sentimental approach to the problem would not be helpful.

In the circumstances I submit that the period of seven years is small and it should be extended to ten years. But we agree that the Government should have a control over the prices of drugs which were increasing and they should be controlled according to the cost of production. The medicines should be available to the people on the prices fixed for them.

I want to put one more point. There may be an apprehension that the Government would not implement the recommendations that had been made. My submission is that all the Hon. Members, transcending the barriers of the parties, should consider what policy would be more conducive to more research in the country so that the diseases like Thysis could be checked. We must keep this uppermost in our minds that research work, whether it is in the field of food, fertilizers or medicines, is required to be encouraged in the country. Those, who have sentimental approach towards the problem, I think, do not serve their society and country properly. Therefore, we should not allow ourselves to be seized by sentiments.

Shri Shiv Chander Jha (Madhubani) : Mr. Deputy Speaker, Sir, you know that the present patent system is an instrument of exploitation. The first and foremost aim of a society seeking removal of exploitation ought to be the abolition of the patent system. We see that now-a-days everybody drinks coca-cola which is the product of an American company and that company has got the patent right for it. It is a well known fact that coca-cola has become so popular a drink that it has attracted the Indian peasants also. Thus, the villagers are also subjected to exploitation in this manner and a considerable amount out of the profit is earned by that American company. My submission is that if that patent is abolished the exploitation of our country by that company through coca-cola would certainly come to an end. Therefore, patent right, whether it is in regard to drugs or food, provides an opportunity for exploitation. It has also been stated that out of the total number of patents, eleven per cent patents are held by Indians. While 89 per cent patents are held by foreign companies. It is quite apparent that our country is facing double exploitation which must be stopped.

The patent system was abolished in Russia in the very beginning. But it cannot be said that she did not make progress. Capitalist countries like Japan and Italy also abolished this system, yet they made progress. Similarly, in Argentina there is no such system at present, but no body can say that she is not advancing. The price of tetracyclin, manufactured by an American company, is Rs. 122.50 for 100 capsules in India, while in America the same number of capsules can be purchased for only 29 rupees. For the same number of capsules available in Argentina for seven cents, in India one will have to pay 40 cents. It is because that country does not have the patent system. It clearly shows that by the continuance of this system we are subjected to exploitation and if we get rid of this system we will not be exploited any more.

While introducing the Bill, the hon. Minister did not clarify all the points. He did not mention the benefits accruing to the countries which do not have this system. He should also have stated the difficulties which do not permit our country to discontinue this system. There are the points which require detailed clarification. Patent system was introduced in 1911 under the British regime in India. Those were the days of exploitation and Britishers used to exploit us. But after achieving independence this system should have been abolished I am sorry to say that inspite of the fact that the matter was referred to the Joint Committee and it was the will of the people of India that this system should be abolished, it could not be done. Arguements have been given for certain incentive in this regard. But may I be permitted to know, sir, as to what incentive was given to Bhagat Singh who sacrificed his life for the cause of the nation ? What kind of incentives were offered to Shri Khudiram Bose. What monetary incentives were given to Shri Jagdish Chandra Bose for his inventions ? I feel that instead of monetary incentives people should be given social incentives so that the citizens of our

country might invent new things. It can be done only when a favourable atmosphere is created in the country. You might be knowing, Sir, that in Russia people offer their skill and know how to their society free of cost on every last Saturday of the month. If similar atmosphere is created in India, people can serve the society in the same manner. The object of a socialistic society is one for all, all for one. I think, if the patent system is abolished after creating such an atmosphere, even then people would constantly receive incentives and so many new things would be invented here. I may emphatically say that even after removing the patent system the country would not be loser in any way. But it is regretable that the Government did not act upon it. They do not perform their duty to the extent which we expect of them.

Government propose to reduce the period of patents from ten to seven years through this Bill. But in my opinion the period of seven years is also too long. It should be reduced to five years. Similarly, the percentage of profit and royalty, proposed to be increased from four to five per cent, should be reduced to two. I agree that in the minds of the people of India the feeling of 'one for all, all for one' has not been inculcated ! Even than, five per cent royalty and profit rather on the high side. It should be reduced to two per cent. If you do not come out of this vicious circle and continue this system, and if you want new inventions by offering monetary incentives, I think, we would not achieve our purpose. But if you get out of it, the requirements of the country in regard to medicines and food would be met easily and the society would be saved from the ills of profiteering indulged in by foreign as well as indigenous patentees. Sir, I have given notice of a number of amendments which I would move on the second reading stage. I am sure, if those amendments are accepted, the Bill would become more effective. In conclusion I welcome this Bill and request that all my amendments may be accepted.

श्री समर गुह (कन्टाई) : श्रीमान्, स्वर्गीय श्री नेहरू ने कहा था कि औषधियों का पेटेन्ट समाप्त कर दिया जाना चाहिए । मगर सरकार न केवल यह कार्य कर सकी, बल्कि अंग्रेजों के जमाने में जो पेटेन्ट अधिनियम (1911) लागू किया गया था, वह स्वतन्त्रता प्राप्ति के बाद भी चलाती रही ।

मेरे विचार से यह पेटेन्ट विधेयक किसी वैज्ञानिक की प्रेरणा देने वाला नहीं है । जैसे मेरे माननीय मित्र श्री नम्बियार ने कहा सोवियत रूस, इटली और जापान में खाद्य पदार्थ, औषध और बच्चों के खाद्य पदार्थों के लिए पेटेन्ट नहीं है । जापान में केवल गत विश्व युद्ध के बाद पेटेन्ट चालू किया गया । राजगोपाल अय्यंगर समिति ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि भारत में औद्योगिक विकास को रोकने के लिये विदेशियों ने पेटेन्ट के कानून का दुरुपयोग किया है ।

संभवता कोई यह कहेगा कि पेटेन्ट अगर समाप्त कर दिया जाएगा तो देश में दवाइयों के निर्माण में बाधा पड़ेगी या विदेशों से दवाइयों की सप्लाई खत्म होगी । यह गलत विचार है चीन के साथ अमरीका या रूस का कोई व्यापार-सम्बन्ध नहीं है । मगर पश्चिमी एवं पूर्वी यूरोपीय देश चीन को दवाइयों, बच्चों के खाद्य पदार्थ आदि की सप्लाई करते हैं । अतः अगर भारत में भी पेटेन्ट का अधिकार पूर्णतः समाप्त कर दिया जाएगा, तो कोई कठिनाई नहीं होगी ।

प्रति वर्ष हमारी साधारण जनता से दवाइयों के मूल्य के रूप में 200 करोड़ रुपए लिए जाते हैं, जबकि इसके निर्माण की लागत केवल 50 करोड़ रुपये है । इसका अर्थ है कि ये कम्पनियां कम से कम 400 प्रतिशत लाभ कमाती हैं । एक अन्य बात यह है कि भारत में निर्मित दवाओं में 87 से 90 प्रतिशत तक का आविष्कार विदेशों की प्रयोगशालाओं में किया गया है । उन्होंने पेटेन्ट का अधिकार विदेशों से लिया और उसके अन्तर्गत निर्मित दवाओं को यहां चालू किया जा रहा है ।

अतः हमारे वैज्ञानिकों को दवाइयां, बच्चों के खाद्य पदार्थ आदियों के निर्माण के लिए सही प्रेरणा तभी मिल सकती है, जब पेटेन्ट का अधिकार समाप्त किया जायेगा। मन्त्री महोदय ने कहा कि पेटेन्ट विधेयक इसलिए प्रस्तुत किया गया है ताकि आविष्कारकों को अपने कार्य का फल भोगने का अवसर प्राप्त हो। आविष्कार के लिये प्रेरणा देने के संबंध में यह मंत्री महोदय का बिल्कुल गलत मूल्यांकन है। आविष्कारक बेचारे वैज्ञानिक होते हैं। मगर जब पेटेन्ट लिया जाता है, प्रयोगशाला के निदेशकों या कम्पनी के निजी आदमी के नाम पर लिया जाता है। इस प्रकार आविष्कार का फल बेचारे वैज्ञानिकों को नहीं मिलता, बल्कि मिलता है उद्योगपतियों को या दवाई निर्माताओं को। सरकारी क्षेत्र में भी यही हालत है। विश्वविद्यालयों की बड़ी प्रयोगशालाओं में जो अनुसंधान कार्यों को केवल नेतृत्व देता है, जो परीक्षण के बारे में कुछ नहीं जानता, अनुसंधान का परिणाम उन्हीं के नाम पर प्रकाशित किया जाता है। युवा वैज्ञानिक जो यथार्थतः आविष्कार कार्य करते हैं, उन्हें इससे कोई फायदा नहीं मिलता। अतः पेटेन्ट का कानून प्रोत्साहन देने वाला नहीं है। उसके लिए मुक्त अनुसंधान की सुविधाएं युवा वैज्ञानिकों को दी जानी चाहिए।

हमारे देश में कई राष्ट्रीय प्रयोगशालाएं हैं। यदि हम युवा वैज्ञानिकों को अनुसंधान की सुविधायें देंगे, तो उसका अच्छा परिणाम निकल सकता है। अगर वे अच्छे ढंग का अनुसंधानकार्य करते हैं और नई चीजों का आविष्कार करते हैं, तो उनके वेतन में वृद्धि, पदोन्नति तथा अन्य सुविधाएं दी जानी चाहिएं। यही सही प्रेरणा है। अब जो पेटेन्ट का कानून है, उससे युवा वैज्ञानिकों के अनुसंधान कार्यों में बाधा पड़ती है।

पेटेन्ट का कानून क्या है ? यह एक ऐसा अनुमति पत्र है जो औषध निर्माण में लगे बड़े उद्योगपतियों को शोषण करने के लिए दिया जाता है। इसको समाप्त करने से आकाश नहीं टूटेगा। अमरीका और अन्य कई देशों तक ने विश्वयुद्ध के बाद पेटेन्ट कानून समाप्त कर दिया था। अब कई देशों में यह कानून नहीं है। अतः पेटेन्ट कानून को समाप्त करना ही सही अर्थ में प्रेरणा प्रद होगा।

इस विधेयक का मैं कुछ सुझावों सहित समर्थन करता हूं। पेटेन्ट का समय 5 साल तक कम कर दिया जाना चाहिए। रायल्टी कारखाना मूल्य का दो प्रतिशत कर दी जानी चाहिए। औषध निर्माताओं में 87 प्रतिशत लोग विदेशी हैं। पेटेन्ट से अगर किसी को कुछ फायदा पहुंचाने का विचार है, तो देशी औषध निर्माताओं को मिले। अगर सरकार पेटेन्ट का अधिकार समाप्त भी कर दे, तो भी विदेशी निर्माता पर इसका कोई असर नहीं पड़ेगा। वे भारत के बाजार में अपने माल सहित आते ही रहेंगे।

Shri Randhir Singh (Rohtak) : Mr. Deputy Speaker, I congratulate the Government for this progressive measure. After Bank Nationalisation, if any important measure has been brought before this Parliament it is this Bill. Bank Nationalisation has benefited crores of people and common people have begun to receive loans. Similarly, this measure will provide medicines at cheap rates to the crores of poor labourers, farmers villagers, who were till now unable to purchase those medicines. The farmers will get chemical inputs and, besides, after the introduction of this Bill, the attention of whole of India has been drawn towards the monopoly of certain people.

Mr. Deputy Speaker, the foreign capitalists and the Indian capitalists are jointly looting the people. This is such a field in which crores of people were being cheated by the capitalists and this loot was probably more than the looting done by Britishers. They took

away only 80 or 82 hundred crores of rupees every year from India to Britain, but America and other countries are making hundreds and crores of rupees by manufacturing patented drugs and chemicals in collaboration with the Indian capitalists. An article worth four annas is being sold at exorbitant price. The bottle contains some medicine but the name on the lable is different. In this way cheating is done. Beautiful labels are pasted on baby food, Chocolate, toffees and ruppees ten are charged for an article worth one paisa. This is what they are doing. I think there can be no worse exploitation than this.

Where you are taking or have taken better steps in respect of ceiling, a ceiling has been put by this Bill also on that monopolistic field in which the foreigners were establishing their reign in India by looting the poor people. The medicine is such a thing which is needed for the children of all the poor people, Harijans and other backward people but because of high prices their children were deprived of medicines. But as a result of this Bill, the children of the poor people will also be able to get medicines at cheap rates. It is possible that the medicine, the price of which was fixed at Rs. 10/- by the capitalists, may now be available of a poor man at Rs. 1/50 and it is also possible that thousands and lacs of people may be able to purchase medicines due to the favourable provisions of this Bill, which they were unable to purchase previously. In this way it is possible that their lives may now be saved. One best result of this will be that the economic grip, the monopoly, which was established in this country so far in the name of collaboration, will now come to an end. These capitalists have established their *Jagirs*. Previously, there were 650 states in our country but these states cannot compare themselves with these capitalists. Take coca-cola for example, I cannot say what is its earnings. The Nizam of Hyderabad or the Maharaja of Patiala cannot compare himself with the manufacturer of coca-cola. One patent he acquired and, I do not know what peculiarity he has got in his formula, people have become crazy after that cold drink. So many people want an agency of coca-cola to be given in their city. I do not know who is this coca-cola manufacturer and what is his formula ? Father got it and the son is enjoying its fruits. Not only this, many immitation coca colas have come into the market. They have brought down the moral of the whole country. All have become mad after these drinks. These drinks have demoralised the people and have taught dishonesty, black marketing and all other bad things and have made the whole nation criminal. I hope that on some occasion they will also be caught through the provisions of this Bill.

When we have abolished the big princely states, and the *Prive Purses* are also going to be abolished, the monopoly of patents is not less important and in my opinion it is more important. My friends of Swatantra party were right in expressing their unhappiness. They might have also been adversely affected by it somehow. I think that the exploitation of the poor and the Harijans by the capitalists will remain no longer after this Bill is passed.

Take fertilizer some company got it patented but when you use that fertiliser in the field, you may find that the land has been adversely affected. Similarly you purchased penicilline for Rs. 20 or Rs. 25 but when it used, the man died. God knows what is filled in the bottle and the lable is misleading. I think such things will be stopped through this Bill. Whole of the time has gone in general discussion and I could not say what I actually wanted to say, so now I will say that.

Firstly, I want to say that I have given notice of an amendment not under clause 53 (1).

Mr. Deputy Speaker : Your amendment came when the time was over.

Shri Randhir Singh : That came at 1.35 P.M. if you can give permission than it is all right and if it is not possible, kindly give me permission to move it orally. My amendment is that the 'term of patent' which is 7 Years should be 'five or seven'. This should be considered. I want to move that amendment.

Secondly, if the hon. Minister pays attention to it, it is also oral, I wanted to say about 5 per cent royalty. In the Act it was only 4 per cent. Why it has been increased ? I fail to understand which American mind is working here. This should be 3 or 4 per cent instead of 5 per cent.

Lastly, I want to praise the Government for the fact that it can catch hold of anyone who indulges in bungling, under clause 47. For that I congratulate the Government.

You gave me time to speak, for that I am grateful to you. I hope that the House will accept my amendment.

Thanks.

श्री तेन्नेटी विश्वनाथम (विशाखापत्तनम) : मैं इस विधेयक का स्वागत करता हूं क्योंकि इस में भारतीय पेटेन्ट और डिजाइन अधिनियम के प्रावधानों की अपेक्षा कुछ अच्छी बाते हैं। मैं इस बात से भी सहमत हूं कि दवाइयों, बच्चों के खाद्यपदार्थों आदि के लिए पेटेन्ट नहीं होना चाहिए। वैसे ही विदेशियों को पेटेन्ट का अधिकार नहीं दिया जाना चाहिए। पेटेन्ट अपने आप में कोई बुरी चीज नहीं है। वस्तुतः वह कुछ लोगों को कुछ चीजों के अविष्कार करने में प्रेरणा देता है। एक व्यक्ति का पेटेन्ट दूसरे व्यक्ति को कुछ चीजों का अविष्कार करने से नहीं रोकता, मगर जहां तक जान बचाने वाली दवाइयों का संबंध है, उसके अविष्कारक को उस के ऊपर किसी प्रकार का अधिकार नहीं दिया जाना चाहिए। इस को समाज को पूर्ण रूप से उपलब्ध कराया जाना चाहिए। औद्योगिक क्षेत्र के अविष्कारों का मामला अलग है।

[श्री क० ना० तिवारी पीठासीन हुए]
[Sh. K. N. Tewari *in the Chair*]

दुनिया में जो कुछ करता है, उस के मन में कुछ अभिलाशा रहती है कि उसे कुछ फल मिले। उस में अस्वाभाविक या अपराधपूर्ण जैसी कोई बात नहीं है। पेटेन्ट हमेशा केवल अविष्कारक को सहायता के लिए ही नहीं दिया जाता, बल्कि ग्राहक की सहायता के लिए भी है। अतः पेटेन्ट अपने आप में कोई बुरी चीज नहीं है। बात यह है कि जिन लोगों ने महत्वपूर्ण दवाइओं का पेटेन्ट किया, उन्होंने हमारा शोषण किया। इस कारण से पेटेंट के संबंध में सारा विभ्रम खड़ा हुआ।

अतः मेरा निवेदन है कि मंत्री महोदय संशोधनों में से एक को स्वीकार करें। हम विधेयक का स्वागत करते हैं।

Sh. Bhola Nath Master (Alwar): Mr. Chairman, it is better late than never. The Patents Bill has been pending for a long time and we had discussions in this regard with the Minister for Industrial Development off and on. We had been told all the time that the Bill would be introduced soon. It was once referred to a Committee, and then withdrawn. Thereafter, a Select Committee was constituted and some claims were again made. After that again some investigations were made in respect of companies and finally this Bill has been brought forward.

I know that this Patents Bill is reasonable and deserves to be welcomed because our country has so far been for behind other nations in this respect and here new inventions were not possible. Now we have taken part in major inventions in collaboration with foreign countries. Our object is to see that all such items as we import and which we require end made

available indigenously. The Patents Bill seeks to reduce the period of Patents and this is appreciable and this deserves to be welcomed. But if the period is further reduced, more people will get encouragement.

I know that in Alwar City, from where I come, pesticides are manufactured in large quantities. But the factories which produce are doing only job work. The patentees are "Shell" or "ICI". The bulk of the profit goes to these big companies. Therefore this procedure of patents should be revised as early as possible. Those articles should be exempted from patent in which we become self-sufficient, and also the period of patents should be reduced.

I have seen that the disc part of tractor was not supplied by either Escorts or Ferguson companies, but it was available in Motiakhan. It was in horsebrand. Escorts is earning huge profits in such a way. All the spare parts of tractors are easily available in Motiakhan. In fact, Motiakhan manufacturers produce these spare parts in some of their small factories and later on big companies like Escorts and Ferguson put their trade mark on them. In this way, very high prices are charged for them by these companies. Therefore, the Government have to be quite more vigilant in respect of patents. Our country is fast developing and so it would not be proper to provide a long period of patents. If necessary a limited compensation may be given and after that our own people should be allowed to enter the field so that they could manufacture all essential articles. We must enforce enthusiasm in their minds and provide employment to new hands. With these words I conclude.

Shri Sheo Narain (Basti) : Mr. Chairman,

Sir, I welcome the patents Bill and want it to be implemented properly. The late Pandit Nehru had also said that so long as our country remained rooted in poverty, it was the duty of the Government to ensure that foodgrains, essential drugs etc. were made available at cheap rates to the people. Unfortunately, the enactment of Patents law led to enormous rise in the prices of drugs as a result of which the foreign companies amassed huge profits. Therefore it had become quite necessary that the patents law should be amended. The Government has done a right thing in bringing forward this Bill. In my view, the period of seven years, provided in this Bill, is justified. As I said before, the Patents law was operated to the detriment of the interests of our Country, and the Government has acted wisely in bringing forward this amendment. The foreign Companies amass huge profits and we must put an end to this. In view of this also, I welcome this Bill. I would like to caution the Government to beware of these foreign Companies. Otherwise, our freedom will be in danger. Today the atmosphere in our country is very distressing and hence the Government should be very vigilant.

It is a well known fact that drug prices have increased enormously in our country. Recently when I visited my constituency, I was told that drug prices had scared very high and that the manufacturers were earning huge profits. How improper it is that common man should get the drugs which are essential and useful to him at such enormous prices especially, to play with the lives of T.B. and other Patients in this way is highly improper. Keeping all these things in view, I have welcomed the Bill, so that the Common man may get medicines at fair prices. The foreign capitalists are earning profits on medicines to the extent of even two thousand times. This must be stopped and these indigenous drug manufacturers who are prepared to supply medicine at fair prices should be given preference. Now-a-days new eminent scientists are being purchased by these capitalists and kept under their influence. This is very unfair. The Government should take serious note of it and the talented people here should be given due consideration and they ought not to be neglected. Our scientists go abroad where they get fabulous amounts of money, but our country is deprived of their talent. This should be put on and to and the country must get the benefit of their knowledge and experience. I would

like to urge the Government to give protection to the indigenous drug manufacturers. I support this Bill which seeks to amend the original Patents Act. I may point out that which ever party may form the Government, we will support their good acts. But we would not back any wrong deeds of any Government. The provision of a period of seven years is quite proper.

With these words I support this Bill.

औद्योगिक विकास तथा आंतरिक व्यापार मंत्री (श्री दिनेश सिंह) : सभापति महोदय, मैं माननीय सदस्यों को धन्यवाद देता हूं जिन्होंने इस विधेयक का समर्थन किया। जैसा मैंने शुरू में ही कहा था, यह हमारे देश के औद्योगिक विकास की एक ऐतिहासिक घटना है। साथ ही साथ यह अन्य विकासोन्मुखी देशों की प्रौद्योगिकी का आधार भी बनेगा।

कुछ माननीय सदस्यों ने कहा है कि पेटेन्ट पूर्ण रूप से समाप्त किया जाना चाहिए। श्री शिवचन्द्र झा ने कहा कि सोवियत संघ, जापान, इटली और अर्जनटीना में पेटेन्ट समाप्त कर दिया गया है। यह सत्य नहीं है। इन देशों में पेटेन्ट अब भी चलता है। वस्तुतः हमारा विधेयक इन देशों की, जिन में सोवियत संघ भी शामिल है, अपेक्षा अधिक प्रगतिशील है।

कुछ अन्य माननीय सदस्यों ने यह सुझाव रखा कि खाद्य पदार्थों और औषधों को पेटेन्ट नहीं दिया जाना चाहिए। इटली में इस प्रकार की कुछ व्यवस्था है। परन्तु वहां भी वे पुनः पेटेन्ट चालू करने जा रहे हैं क्योंकि इस से अप्रामाणिक दवाओं के निर्माण को रोका जा सकेगा। अतः अब पेटेन्ट समाप्त करने का समय नहीं है। संयुक्त राष्ट्र संघ में हम बराबर यह बात कह रहे हैं कि विकसित देशों से प्रौद्योगिक ज्ञान को सस्ती दर में विकासोन्मुखी देशों को उपलब्ध कराया जाना चाहिए। अगर हम इस में सफल हुए तो हमारे औद्योगिक क्षेत्र में काफी विकास होगा।

कुछ माननीय सदस्यों ने कहा कि पेटेन्ट का अधिकार सिर्फ भारत के लोगों को दिया जाना चाहिए, विदेशियों को नहीं। चूंकि हम संयुक्त राष्ट्र संघ के सदस्य हैं, अन्य देशों की एकदम उपेक्षा कर हमारी अपनी नीति बनाई नहीं जा सकती। यह पक्षपातपूर्ण रवैया होगा। अतः मैं माननीय सदस्यों से निवेदन करता हूं कि वे इस विधेयक का समर्थन करें। मैं उन्हें आश्वासन दे सकता हूं कि इस विधेयक के द्वारा प्रौद्योगिक विकास और शोषण का अंत करने का हमारा संकल्प पूरा होगा।

कुछ माननीय सदस्यों ने कहा कि 5 प्रतिशत रायल्टी बहुत अधिक है। इसका मतलब यह नहीं है कि हर पेटेन्ट में रायल्टी 5 प्रतिशत दी जायगी। जो उचित समझा जाता है, उसके अनुसार $\frac{1}{2}$, एक या दो इस प्रकार से दी जाएगी। औसत से भी अधिक रायल्टी की सीमा निश्चित करने के पीछे एक कारण है। मान लीजिए कैंसर की दवा कहीं बनाई गई है। हम अपनी जनता को इससे वंचित रखना नहीं चाहते हैं। अतः रायल्टी की सीमा कुछ बढ़ा दी गई है। यदि माननीय सदस्यों को लगता है कि यह बहुत अधिक है, तो संबद्ध खंड पर चर्चा करते समय उस पर विचार किया जा सकता है।

पेटेन्ट की अवधि की बात उठाई गई। मेरे पास कई देशों की सूची है जहां पेटेंट की अवधि 15 वर्ष, 16 वर्ष, 20 वर्ष, इस प्रकार हैं। यहां पहले जो अवधि 16 वर्ष थी, अब साधारण मामलों में 14 वर्ष कर दी गई और खाद्य पदार्थों तथा दवाइयों के मामलों में 7 वर्ष

कर दी गई है । सात वर्ष कोई बहुत लम्बा समय नहीं है हमने इस संबंध में विधेयक में एक खंड जोड़ दिया है जिसके अनुसार जब अत्यधिक मूल्य वसूल किया जाता है, तो सरकार स्वेच्छा से विदेशों से नवीनतम दवाई का आयात कर सकती है । अतः अनुचित शोषण को रोकने के लिए आवश्यक कदम उठाये गए हैं । मेरा सुझाव यह है कि हम इस प्रावधान को न बदलें ।

श्री दांडेकर ने विधेयक की तीव्र आलोचना की है । उन्होंने मेरी कई बातों का विरोध किया है । उनका भाषण मुख्यतः इसमें अन्तर्निहित व्यय के सम्बन्ध में था । प्रश्न यह है कि धन किसी व्यक्ति का है या व्यक्तियों के समूह का है । यहां यह बात महत्त्व की नहीं है कि यह निजी सम्पत्ति है या नहीं । प्रश्न यह है कि हम इस मामले में क्या कर सकते हैं । इसीलिए हम इस मामले में आवश्यक कानून की व्यवस्था कर रहे हैं । उन्होंने अनुसंधान और आविष्कार में अन्तर्निहित भारी व्यय के सम्बन्ध में कहा । वस्तुतः किसी एक केन्द्र को छोड़कर भारत में गैर-सरकारी क्षेत्र में और कहीं अनुसंधान कार्य नहीं चल रहा है । क्या हम इन कम्पनियों को अपने तमाम अनुसंधान कार्यों का व्यय असीम लाभ से पूरा करने दें । जब भारत में इन कम्पनियों द्वारा अनुसंधान कार्य प्रायः किया ही नहीं जाता, तो यह कहने में क्या तुक है कि इनके अनुसंधान-व्यय की पूर्ति के लिए सरकार को राशि देनी चाहिए ।

श्री मुकर्जी ने "टाइम्स आफ इंडिया" में छपे समाचार का एक अंश पढ़कर सुनाया । उसमें कहा गया कि कई अमरीकी कम्पनियां यूरोप में जिस दर पर दवाइयां बेचती हैं, उससे 300 से लेकर 11,364 प्रतिशत अधिक दर पर विकासोन्मुखी देशों को बेचती हैं । श्री दांडेकर को इसके बारे में कोई चिंता नहीं है । वे चाहते हैं कि हमारी जनता दवाइयों से वंचित रहे परन्तु वे यह नहीं चाहते कि हम उस ढंग से उनका नियन्त्रण करें जिससे लोगों को उचित मूल्य पर दवाइयां उपलब्ध हों । उनका यह विचार दकियानूस एवं प्रतिक्रियावादी है ।

श्री तेन्नेटी विश्वनाथम : उन्होंने केवल यही पूछा था कि किस धारा के अन्तर्गत उन पर नियंत्रण लगाया जा रहा है ।

श्री दिनेश सिंह : जिस धारा में रायल्टी आदि के बारे में कहा गया है उसी के अन्तर्गत हम देश में दवाइयों का निर्माण भी कर सकते हैं । यदि कम्पनियां दवाइयों की सप्लाई ही नहीं करतीं, तो नियन्त्रण काहे का ? इसी कारण से इस विधेयक के अन्तर्गत सरकार को दवाइयों के आयात का अधिकार दिया जाता है । हम उचित मूल्य पर दवाइयों का आयात कर सकते हैं और सप्लाई कर सकते हैं और उसी समय हम दवाइयों का निर्माण भी कर सकते हैं ।

उन्होंने पूछा था कि कीटाणुनाशक दवाइयों को भी पेटेंट के अन्तर्गत क्यों नहीं लाया जाता है । हमारे देश में खाद्य पदार्थों की कमी रही है । अतः हमें खाद्योत्पादन बढ़ाना है । कई कीटाणुनाशक दवाइयां हमें प्राप्त हो गई हैं जिनसे हम खेतों में उत्पादन बढ़ा सकते हैं कई । दवाइयां स्वास्थ्य के लिए हानिकारक भी है । अतः सरकार को स्वास्थ्य एवं खाद्य पदार्थों की उत्पादन क्षमता को बढ़ाने की ओर ध्यान देना पड़ेगा । इसी कारण से कीटाणुनाशक दवाइयों को पेटेंट के अन्तर्गत लाया गया है ।

उन्होंने कहा कि लाइसेंसिंग व्यवस्था हानिकारक है । हमारे देश में निर्माताओं को सीलिंग के तीन साल बाद पेटेंट मिल जाएगा और उचित रायल्टी भी मिल जाएगी । यह उन लोगों को अपनी दवाइयां बनाने से नहीं रोकता । अगर वे सस्ती दर में और श्रेष्ठ किस्म की दवा बना

सकते हैं तो निश्चय ही उसको प्राथमिकता मिलेगी । पता नहीं माननीय सदस्य इसका विरोध क्यों करते हैं । हम इस सम्बन्धित फर्म को उचित रायल्टी दे रहे हैं । उचित विचार करने के पश्चात् ही इस विधेयक को यहां पर प्रस्तुत किया गया है ।

इस सभा में राष्ट्रीय प्रयोगशालाओं के बारे में चर्चा हो चुकी है । समय के अभाव के कारण प्रयोगशालाओं में हो रहे कार्य का ब्यौरा देना मेरे लिए सम्भव नहीं है । यह प्रयोगशालाएं न केवल आधुनिक टैक्नालौजी से स्वयं को परिचित रखने का अवसर ही लोगों को प्रदान करती है बल्कि उद्योग द्वारा प्रस्तुत समस्याओं को भी हल करने का प्रयास करती हैं । कुछ माननीय सदस्यों ने इनके पेटेन्टों को अर्जित करने का सुझाव भी दिया है । हम ऐसा कह सकते हैं परन्तु इसके लिए हमें मुआवजा देना होगा । हमने अनिवार्य लाइसैंस तथा इन पदों को सरकार द्वारा बनाये जाने का शक्तियों सम्बन्धी उपबन्ध कर दिया है तो मेरे विचार में पेटेन्ट अर्जित करना तथा उसके लिए रायल्टी देना उचित नहीं है । कुछ समय व्यतीत हो जाने के पश्चात् ये पेटेन्ट लोगों को उपलब्ध हो जाएंगे और लोग अपनी इच्छा अनुसार औषधियों का निर्माण कर सकेंगे ।

मैं नहीं जानता कि श्री वर्मा किस औषधि विशेष का उल्लेख कर रहे थे परन्तु यदि उनके मन में कोई औषधि विशेष है और यदि वह औषधि नियंत्रक का ध्यान उस ओर दिलायें तो वह उसकी जांच करेंगे ।

[उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए
Mr. Deputy Speaker *in the Chair*]

इन शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं ।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि पेटेन्ट सम्बन्धी विधि को संशोधित तथा समेकित करने वाले विधेयक पर, संयुक्त समिति द्वारा प्रतिवेदित रूप में विचार किया जाये ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ
The motion was adopted.

उपाध्यक्ष महोदय : अब खण्ड वार विचार किया जायेगा । प्रश्न यह है :
"कि खण्ड 2 विधेयक का अंग बने ।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ
The motion was adopted

खण्ड 2 विधेयक में जोड़ दिया गया
Clause 2 was added to the Bill

खण्ड 3 तथा 4 विधेयक में जोड़ दिये गये
Clauses 3 and 4 were added to the Bill

Mr. Deputy Speaker : We now take up clause 5.

Shri Beni Shanker Sharma : I move :

Page 5, *for* lines 27 to 29, *substitute*

"No patent shall be granted." (47)

Mr. Deputy Speaker, in all the speeches made during the first reading of this Bill, emphasis has been laid on one thing only : that so far as the life saving drugs and food stuffs are concerned, they should not be covered by the Patents Bill. The purpose of my amendment is only to materialise those views. You know that the *Vaidyas* of older times, who used to treat patients and distribute medicines never charged for the medicines given, according to the Indian traditions. But to-day, there is no question of charging even fair price for medicines. Today, efforts are made to charge more and more prices from the people through patents. This is quite against the culture and traditions of India. Therefore, the drugs and food stuffs should be taken out of the purview of the Patents Bill.

श्री दिनेश सिंह : प्रक्रियाओं तथा तरीकों से पेटेन्ट हटाना वांछनीय नहीं है। इससे कुछ कठिनाइयां उत्पन्न हो जायेंगी। अत: मैं इस संशोधन को स्वीकार नहीं कर सकता।

उपाध्यक्ष महोदय द्वारा संशोधन संख्या 47 मतदान के लिए रखा गया तथा अस्वीकृत हुआ।

The amendment No. 47 was put and negatived.

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खण्ड 5 विधेयक का अंग बने"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

The motion was adopted

खण्ड 5 विधेयक में जोड़ दिया गया

Clause 5 was added to the Bill

उपाध्यक्ष महोदय : खण्ड 61 संशोधन संख्या 36 तथा 37, श्री कवंर लाल गुप्त इस समय उपस्थित नहीं है। अत: मैं खण्ड को मतदान के लिए रखता हूं। प्रश्न यह है :

"कि खण्ड 6 विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

The motion was adopted

खण्ड 6 विधेयक में जोड़ दिया गया

Clause 6 was added to the Bill

खण्ड 7 और 8 विधेयक में जोड़ दिए गये

Clauses 7 and 8 were added to the Bill

उपाध्यक्ष महोदय : खण्ड 9 संशोधन संख्या 191 श्री झा इस समय सभा में उपस्थित नहीं है। अत: मैं खण्ड 9 को मतदान के लिए रखता हूं। प्रश्न यह है :

"कि खण्ड 9 विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

The motion was adopted

खण्ड 9 विधेयक में जोड़ दिया गया
Clause 9 was added to the Bill

खण्ड 10 और 11 विधेयक में जोड़ दिये गये
Clauses 10 and 11 were then added to the Bill

उपाध्यक्ष महोदय : खण्ड 121 श्री झा सभा में उपस्थित नहीं हैं। अतः मैं खण्ड 12 को सभा में मतदान के लिए रखता हूं। प्रश्न यह है :

"कि खण्ड 12 विधेयक का अंग बने ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ
The motion was adopted

खण्ड 12 विधेयक में जोड़ दिया गया
Clause 12 was added to the Bill

खण्ड 13 से 47 विधेयक में जोड़ दिये गये
Clauses 13 to 47 were then added to the Bill

उपाध्यक्ष महोदय : संशोधन संख्या 11 नया खण्ड 47 क ।

श्री नारायण दाण्डेकर (जामनगर) : मैं संशोधन संख्या 1 प्रस्तुत करता हूं। इसके दो उद्देश्य हैं। प्रथम यह है कि सरकार को खण्ड 47 के उप-खण्ड (1), (2) और (3) के अन्तर्गत अपने अधिकार का प्रयोग गैर-वाणिज्यिक तथा यथार्थ प्रयोजनों हेतु ही किया जाना चाहिए और बाढ़, महामारी, अकाल तथा सूखे आदि की स्थिति में किया जाना चाहिए। नये खण्ड 47क के उप-खण्ड 47 में यह स्पष्ट किया गया है कि इसके लिए सरकार को भुगतान करना चाहिए। ऐसा चाहे सरकार तथा पेटेन्टी में करार के माध्यम से और करार के उल्लंघन के रूप में इसका निर्णय उच्च न्यायालय द्वारा किया जाना जाहिए। आशा है कि माननीय मंत्री इस खण्ड 47 क को स्वीकार कर लेंगे।

श्री दिनेश सिंह : मैं इस बारे में सभा को पहले ही विस्तृत रूप से बता चुका हूं कि सरकार ने किन कारणों हेतु यह अधिकार अपने पास रखा है औषधियों के आयात आदि तथा सरकारी प्रयोग के लिए निर्माण का सम्बन्ध है हमने रायल्टी की कोई व्यवस्था नहीं की है। जहां-तक वाणिज्यिक प्रयोग का सम्बन्ध है हमने कहा है कि उसके लिए रायल्टी दी जायेगी। अतः इससे माननीय सदस्य का प्रयोजन हल हो जाता है। दूसरे सरकार द्वारा शक्ति का दुरुपयोग किये जाने का कोई कारण नहीं है। अतः इस संशोधन को स्वीकार करना सरकार के लिए सम्भव नहीं है।

उपाध्यक्ष महोदय द्वारा संशोधन संख्या 1 मतदान के लिए रखा गया तथा अस्वीकृत हुआ।
The amendment No. 1 was put and negatived.

खण्ड 48

श्री नारायण दाण्डेकर (जामनगर): मैं संशोधन संख्या 2 प्रस्तुत करता हूं।

ऐसा लगता है कि उप-खण्ड (ख) अपूर्ण है। इसमें पेटेन्ट प्राप्त करने वाले को प्रक्रिया का प्रयोग करने का अधिकार है परन्तु उसके परिणामस्वरूप बनने वाले उत्पादों को बेचने का अधिकार नहीं है। मेरे संशोधन से इस उप-खण्ड का अर्थ स्पष्ट हो जाता है और मुझे आशा है कि माननीय मंत्री इसको अवश्य स्वीकार कर लेंगे।

श्री नम्बियार (तिरूचिरापल्लि): मैं संशोधन संख्या 28 प्रस्तुत करता हूं। मेरा संशोधन श्री दाण्डेकर के संशोधन के बिल्कुल विपरीत है।

इस विधेयक के पास हो जाने पर पेटेन्ट सम्बन्धी दो प्रकार के अधिकार होंगे। 1911 के अधिनियम के अन्तर्गत जिन लोगों को पहले से पेटेन्ट प्राप्त हैं उनको पेटेन्ट प्राप्त करने वाले नये व्यक्तियों के कार्यक्षेत्र की अवधि से अधिक अवधि प्राप्त होगी। अतः वे अवधि के अन्तिम क्षण तक चलेंगे। इस संसद को उसे सीमित रखने का कोई अधिकार नहीं है। अतः मैं इस बात से सहमत नहीं हो सकता। मेरा प्रश्न यह है कि जब सम्पत्ति अधिकार को सीमित किया जा सकता है तो इसको सात बर्ष के लिए, अथवा जो भी समय आप उचित समझें, सीमित न किये जाने के क्या कारण हैं? जिन लोगों को पेटेन्ट पहले दिये जा चुके हैं उनको विशेष लाभ अथवा विशेषाधिकार देने का कोई कारण नहीं है। यह कहना गलत है कि यदि हम इस अवधि को सीमित कर देंगे तो न्यायालय इसमें हस्तक्षेप करेगा।

मैं चाहता हूं कि इस भाग को काट दिया जाये। मेरा निवेदन है कि हम विभेद को समाप्त करके दोनों पार्टियों को समान सतह पर खड़ा कर दिया जाये।

Shri Beni Shanker Sharma (Banka) : Mr. Deputy Speaker, Sir, I want to say to the minister only this thing that the amendment moved by Hon. Shri Dandekar to this clause takes us to the extreme right whereas the amendment moved by Hon. Shri Nambiar takes up to the extreme left, but my amendment is in between the two. I am, therefore, of the view that my amendment will be acceptable to them and I do not think that they have any objection in this matter.

It can be said that the rights given to the people under the Act of 1911 should remain intact.

I admit it as a good principle. But when the Government is bringing a new legislation regarding the Privy Purses of the ex-rulers, when it is violating the assurances given by their predecessors by making amendments in the assurances given to the I.C.S. people, it should have no difficulty in amending the assurances given by a mere Registrar.

As Shri Nambiar has stated, if the Government passes this clause there will be two categories of patentees—those who come under the 1911 Act and who have got so many rights, and those who will be new patentees and who will not have those rights. It will be a discrimination and I think it may not be recognised by the jurists later on. My amendment is that :

> "Subject to the other provisions contained in this Act, a Patent granted before the commencement of this Act, shall confer on the patentee the exclusive right by himself, his agents or lincences to make, use, exercise, sell or distribute the invention in India for a period not exceeding five years."

I think that if you accept my amendment the discrimination under the new and the old laws will be removed.

I have already stated that my amendment is in between the two. I am, therefore, of the view that you should have no objection in accepting my following amendment.

I beg to move : Page 25, line 34—*add* at the end—'for a period not exceeding five years' (48).

श्री हिम्मतसिंहका (गोड्डा): मैं श्री नम्बियार के संशोधन को समझने में असमर्थ हूं। मेरे विचार में इन चार पंक्तियों को हटा देने से स्थिति में कोई सुधार नहीं होगा। पुराने अधिनियम के अन्तर्गत दिये गये पेटेन्टों पर खण्ड 87 तथा 88 लागू नहीं होते। अतः इन चार पंक्तियों को हटा देने से स्थिति में कोई सुधार नहीं होगा।

श्री दिनेश सिंह: श्री दाण्डेकर ने जिस मामले को उठाया है उस पर संयुक्त समिति में चर्चा की गई थी, संयुक्त समिति ने पेटेन्ट प्राप्त करने वाले व्यक्तियों के इस अधिकार को स्वीकार नहीं किया था। पेटेन्ट की प्रक्रिया के अन्तर्गत वस्तु बनाने के लिए प्रक्रिया का प्रयोग करने का अधिकार दिया जा सकता है न कि उत्पाद को बिक्री के लिए पूर्ण अधिकार। अतः हमारे लिए उनके संशोधन को स्वीकार करना कठिन है।

श्री नम्बियार द्वारा उठाये गये प्रश्न का मैंने पहले ही उल्लेख किया है। यदि हम इन पेटेन्टों को वापस लेते हैं तो हमें उनके लिए मुआवजा देना होगा। अतः ऐसा करना किये गये काम के अनुकूल नहीं होगा उनकी अवधि अपने आप धीरे धीरे समाप्त हो रही है।

श्री नम्बियार: खण्ड 48 पहले दिये गये पेटेन्टों के बारे में है। उनकी अवधि शीघ्र ही समाप्त हो जायेगी। अतः मुआवजा देने का कोई प्रश्न नहीं है।

श्री दिनेश सिंह : आप यह चाहते हैं कि उनको नये कानून के अन्तर्गत लाया जाऐ परन्तु यह महसूस किया गया था कि एसा करने से शायद हमें मुआवजा देने का जोखिम उठाना पड़े। अतः स्थिति में फेरबदल करना उचित नहीं समझा गया। दूसरे इस में विभेद का भी कोई खतरा नहीं है।

श्री बेणी शंकर शर्मा : पुराने अधिनियम के अन्तर्गत जिन लोगों को अधिकार प्राप्त हैं उनके लिए अत्यधिक कितना समय निर्धारित किया गया है।

श्री दिनेश सिंह : उनको 16 वर्ष का समय मिलता है। परन्तु ऐसा पेटेन्ट विशेष पर निर्भर करता है।

उपाध्यक्ष महोदय द्वारा संशोधन संख्या 2, 28 और 48 सभा में मतदान के लिए रखे गये तथा अस्वीकृत हुए।

The amendment Nos. 2, 28 and 48 were put and negatived.

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खण्ड 48 विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

The motion was adopted

खण्ड 48 विधेयक में जोड़ दिया गया

Clause 48 was added to the Bill

खण्ड 49 से 52 विधेयक में जोड़ दिये गये

Clauses 49 to 52 were added to the Bill

खण्ड 53

श्री दाण्डेकर : मैं संशोधन संख्या 3 तथा 4 प्रस्तुत करता हूं ।

श्री शिव चन्द्र झा : मैं संशोधन संख्या 21 तथा 22 प्रस्तुत करता हूं ।

श्री नम्बियार : मैं संशोधन संख्या 44 प्रस्तुत करता हूं ।

श्री वेणी शंकर शर्मा : मैं संशोधन संख्या 55 प्रस्तुत करता हूं ।

श्री नन्द कुमार सोमानी (नागौर): संयुक्त समिति में स्वयं सरकार की ओर से यह संशोधन दिया गया था कि किसी पेटेन्ट की अवधि को दस वर्ष के लिए सीमित किया जा सकता है । बाद में इसे सात वर्ष कर दिया गया था जैसा सुबह श्री दाण्डेकर ने बताया था कि सात वर्षों में से पहले दो वर्ष पेटेन्ट को नियंत्रक के कार्यालय में जांच कराने तथा अन्य औपचारिकताओं को पूरा करने में लग जाते हैं । अत: पेटेन्ट प्राप्त करने वाले को वास्तव में पांच वर्ष का समय ही मिलता है । यह अवधि बहुत ही कम है । भूत पूर्व नियंत्रक श्री बारंका के भी यही विचार थे । संयुक्त समिति के एक ग्रुप ने हिन्दुस्तान एन्टीबायोटिक्स कारखाने का दौरा किया था । वहां उनको बताया गया था कि कम्पनी एक औषधि का वाणिजियक स्तर पर उत्पादन करने में आठ वर्ष लग गये थे । अत: मेरे विचार में पेटेन्ट के लिये सात वर्ष का समय बहुत कम है । दो देशों अर्थात लिबिया और संयुक्त अरब गणराज्य को छोड़कर शेष लगभग सभी देशों में पेटेन्ट के लिए निर्धारित की गई अवधि 15 से 20 वर्ष है । इस में विकासशील तथा विकसित सभी प्रकार के देश हैं। अत: हमारी सरकार को भी इस अन्तर्राष्ट्रीय प्रवृति की ओर ध्यान देना चाहिए । अत: सरकार को इस संशोधन को स्वीकार कर लेना चाहिए ।

Shri Shiva Chandra Jha: The Hon. Member who spoke just now said that the duration of patent which was put at 7 years should be more than that. But we all know that this system of patent is not in tune with the goal we have put before us and, therefore, the need of the times is that this system of patents should be abolished altogether. But if we concede that some incentive is needed since our society was not so developed and because the inventor must get some benefit, the period of 7 years is on the high side; it should be reduced to 5 years. Scientific progress was very fast now-a-days. We knew well that any thing that has been patented or any inventor would become out-dated, after 7 years. On its becoming out-dated, the person would not be able to enjoy that right all through the period of 7 years. Since we believed in socialism 7 years was too long a period to allow profits to inventor. It should be 5 years.

My second amendment is in respect of "any other invention, 14 years from the date of the patent". To give any individual a kind of property right for a long period of 14 years is not in conformity with our avowed aims, particularly when that benefit can go to the society. Therefore, my amendment seeks to reduce 14 years to 10 years. Even this period of 10 years is on the high side. But as a Via media we should make it as 10 years. Therefore, any amendment to Clause 53 seeks to reduce 7 years to 5 and 14 years to 10.

श्री नम्बियार: यदि पेटेन्ट को मुहरबन्द करवाने में दो अथवा तीन वर्ष लग भी जाए तो भी आगामी पांच वर्षों में व्यापारी पर्याप्त धन कमा सकता है । अत: हम व्यापारी को उसके उचित नाम से वंचित नहीं कर रहे हैं ।

यदि सरकार सहमत हो जाय तो मैं अपने संशोधन में और आगे मामूली संशोधन करना चाहता हूं। मैं आठ वर्ष के बजाये सात वर्ष कर देना चाहता हूं। मेरा संशोधन इस प्रकार है।

"पेटेन्ट के मुहरबन्द किये जाने के पांच वर्ष अथवा पूर्ण विशिष्ट विवरण के दर्ज कराये जाने की तिथि से सात वर्ष तक अथवा जो भी समय कम हो" यदि सरकार इस पर सहमत हो जाये तो अच्छा है। मुझे पता लगा है कि विशिष्ट विवरण के बारे में सरकार को कुछ कठिनाई होती है। यदि सभा सहमत हो तो मेरा संशोधन पास कर दिया जाये।

Shri Beni Shanker Sharma (Banka) : Mr. Deputy Speaker, Sir, I would be very brief. As far as the food materials are concerned, my Party wants that these should be made available free to the people as was done in ancient India. Similarly, if any body gets undue profit in the sale of medicines, it was a most unscrupulous act. Therefore in regard to foodstuffs such as baby foods and drugs etc. the period of patent should be reduced from 7 years to 5 years.

श्री नारायण दाण्डेकर : विधयक में सात वर्ष की व्यवस्था की गई है। श्री सोमानी ने जो दस वर्ष करने के कारण बताये हैं। मेरा निवेदन इतना है कि चाहे सात वर्ष का समय हो चाहे दस वर्ष का परन्तु इसकी गणना पेटेन्ट के मुहरबन्द होने की तिथि से की जानी चाहिए।

श्री दिनेश सिंह : सभा में दो विभिन्न प्रकार के विचार व्यक्त किये गये हैं। एक विचार यह है कि समय को बढ़ा कर दस वर्ष कर दिया जाये तथा दूसरा विचार यह है कि इसको कम करके पांच वर्ष कर दिया जाये। मैं यह बात स्वीकार करने को तैयार हूं कि इस समय की गणना पेटेन्ट के मुहरबन्द करने की तिथि से की जानी चाहिये। इस सम्बन्ध में मैं श्री नम्बियार के संशोधन को स्वीकार करने को तैयार हूं। मेरे विचार में इसमें दोनों पक्षों की बातें आ जाती हैं।

मैं श्री सोमानी की बात को अच्छी तरह नहीं समझ सका हूं हम केवल यह चाहते हैं कि हमारे देश में माल शीघ्र तैयार होना आरम्भ हो जाये, हम नहीं चाहते कि पेटेन्ट प्राप्त कोई विदेशी हमारा शोषण करे।

उपाध्यक्ष महोदय: माननीय मंत्री ने यह संकेत दिया है कि वह श्री नम्बियार के संशोधन को रूपभेदित राय में स्वीकार करने को तैयार हैं। यदि सरकार तथा माननीय सदस्य सहमत हों तो मुझे कोई आपत्ति नहीं है। अतः मैं इसे सभा में मतदान के लिए रखता हूं।

श्री चपलाकांत भट्टाचार्य (रायगंज): जब आपने माननीय मंत्री को श्री रणधीर सिंह के संशोधन के बारे में प्रतिक्रिया बताने को कहा था तो क्या उन्होंने अपनी प्रतिक्रिया के बारे में उनको कोई संकेत दिया था?

उपाध्यक्ष महोदय: यह कोई नया संशोधन नहीं है। पहले प्रस्तुत किये गये संशोधन को रूपभेदित किया गया है। अतः संशोधन प्रस्तुत करने का प्रश्न पृथक है। क्या मैं संशोधन संख्या 3 अथवा 4 इकट्ठे मतदान के लिए रख सकता हूं।

अनेक माननीय सदस्य: जी हां।

उपाध्यक्ष महोदय द्वारा संशोधन संख्या 3 अथवा 4 मतदान के लिए रखे गये तथा अस्वीकृत हुए।

The Amendment Nos. 3 and 4 were put and negatived.

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"पृष्ठ 28 पंक्ति 11 सात (Seven) के स्थान पर पांच (five) पढ़िए।" (21)

लोक सभा में मतविभाजन हुआ ।
The Lok Sabha divided.

पक्ष में 11	विपक्ष 119
Ayes 11	Noes 119

प्रस्ताव अस्वीकृत हुआ ।
The motion was negatived.

उपाध्यक्ष महोदय द्वारा संशोधन संख्या 22 मतदान के लिए रखा गया तथा अस्वीकृत हुआ।
The amendment No. 22 was put and negatived.

Shri Shiva Chandra Jha: Mr. Deputy Speaker, Sir, I have a point of order. My amendment to Clause 53 which seeks to reduce the period of 7 years to 5 years, has been rejected by the House. Now the amendment put forward by Shri Nambiar, in which my name as well as the names of Shri S.M. Banerjee and Shri Kandappan are also clubbed, reads as follows:

"Five years from the date of sealing of patent or eight years from the date of filing of complete specification or whichever period is shorter."

How this amendment which also seeks to reduce 7 years to 5 years be taken up when my amendment to that effect has been rejected?

श्री नम्बियार : माननीय सदस्य नये संशोधन को पूरी तरह नहीं समझ सके हैं ।

श्री नन्द कुमार सोमानी: क्या माननीय सदस्य व्यवस्था के प्रश्न का उत्तर दे रहे हैं ।

उपाध्यक्ष महोदय : मुझे व्यवस्था के प्रश्न पर तर्क सुनने का अधिकार है ।

श्री नम्बियार: मेरे दोनों संशोधन अलग अलग हैं और उनका एक दूसरे से कोई सम्बन्ध नहीं है ।

श्री अब्दुल गनी डार (गुडगांव): प्रधान मंत्री ने श्री झा के संशोधन पत्र के पक्ष में यह दिया है । आप पुनर मतदान की अनुमति दीजिए अन्यथा प्रधान मंत्री की स्थिति गलत रहेगी ।

उपाध्यक्ष महोदय: इस बात से मेरा कोई सम्बन्ध नहीं है कि वह अपने मत का प्रयोग किस प्रकार करती हैं । श्री नम्बियार का संशोधन इस से पृथक है । अतः इसमें व्यवस्था का कोई प्रश्न नहीं है ।

श्री नारायण दाण्डेकर : पेटेन्ट की तिथि तथा पेटेन्ट को मुहरबन्द करने की तिथि में क्या अन्तर है ।

श्री दिनेश सिंह : पेटेन्ट की तिथि का अर्थ उस तिथि से है जब कि विशिष्ट विवरण दर्ज कराया जाता है । मुहरबन्द तिथि वह तिथि है जबकि पेटेन्ट को वास्तव में मुहरबन्द किया जाता है ।

उपाध्यक्ष महोदय: प्रश्न यह है :

"पृष्ठ 28 पंक्ति 11 पेटेन्ट की तिथि से सात वर्ष (Seven years from the date of the patent) के स्थान निम्नलिखित पढ़िये ।

Five years from the date of sealing of patent or seven years from the date of filing of complete specifications or whichever period is shorter (पेटेन्ट के मुहरबन्द किये जाने के पांच वर्ष अथवा पूर्ण विशिष्ट विवरण के दर्ज कराये जाने की तिथि से सात वर्ष तक अथवा जो भी समय कम हो) ।" (44)

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

The motion was adopted

उपाध्यक्ष महोदय : क्या श्री वेणीशंकर शर्मा को अपना संशोधन वापस लेने के लिये सभा की अनुमति है ।

संशोधन संख्या 52 सभा की अनुमति से वापस लिया गया

Amendment No. 52 was by leave, withdrawn.

उपाध्यक्ष महोदय: प्रश्न यह है :

"कि खण्ड 53 संशोधित में रूप विधेयक का अंग बने"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

The motion was adopted.

खण्ड 53 संशोधित रूप में विधेयक में जोड़ दिया गया

Clause 53, as amended, was added to the Bill

श्री नन्द कुमार सोमानी: मैं संशोधन संख्या 5 प्रस्तुत करता हूं । मैं इसके द्वारा विधेयक में नया खण्ड 53 को जोड़ना चाहता हूं । हम अनेक कारणों से यह नया खण्ड प्रस्तुत करना चाहते हैं । मरा निवेदन है कि इस से पूर्व कि कोई कम्पनी वाणिज्यिक स्तर पर अपने पेटेन्ट का उत्पादन कर सके छः अथवा सात वर्ष का समय व्यतीत हो जाता है । विकासशील देशों ने इस मामले पर पर्याप्त रूप से विचार किया है । समाजवादी तथा अनेक साम्यवादी देशों ने भी इसके लिए पन्द्रह और बीस वर्ष की अवधि निर्धाति की है । क्या हमारी सरकारी अत्याधिक क्रान्तिकारी सरकार होने का दावा करना चाहती है । खण्ड 53 क में अवधि को बढ़ाये जाने की बात कही गई है । यह मांग बहुत ही उपयुक्त है और आशा है कि सरकार इस पर उचित ध्यान देगी ।

डा० सुशीला नैयर (झांसी): मैं इस संशोधन का [illegible] चाहती हूं । हम ने सात वर्ष का समय मांगा है क्योंकि हम जानते हैं कि अनेक व्यक्ति वाणिज्यिक स्तर पर उत्पादन करने से बहुत पहले वस्तु का पेटेन्ट करा लेते हैं ताकि कोई दूसरा ऐसा न कर सके, इस प्रवृति को रोकने के लिये ही सात वर्ष का समय रखा गया है । हम चाहते हैं कि पेटेन्ट प्राप्त करने वाले उत्पादन यथा सम्भव शीघ्र आरम्भ करदें और जानबूझकर उत्पादन करने में विलम्ब न करें । हमें इस चीज को प्रोत्साहन नहीं देना चाहिए ।

श्री नारायण दाण्डेकर : नये खण्ड 53 क में किसी को कोई अधिकार नहीं दिया गया है । इसमें पेटेन्ट प्राप्त करने वाले व्यक्ति को सरकार को संतुष्ट करने के लिये अधिक अवसर दिये जाने

का प्रस्ताव है । समय में वृद्धि करने की बात पूर्णतया नियंत्रक पर छोड़ दी गई है । यदि उसको मामूली सा भी सन्देह हो तो वह समय में वृद्धि करने के आवेदनपत्र को अस्वीकार कर सकता ।

Shri Abdul Ghani Dar: I rise in support of Shri Somani. The point put forwarded by him is left un-heeded. It is not at all his desire that those granted patent should be allowed to continue the exploitation. All that he wants is that the Controller of Patents should see the genuineness. I congratulate him for making a reference to U.S.S.R., Cuba, Czechoslovakia etc. I would be glad if he makes an ally with U.S.S.R.

श्री राममूर्ति (मदुरै) : मैं इस संशोधन का विरोध करता हूं । श्री दाण्डेकर ने यह कहा कि नियन्त्रक को स्वैच्छिक अधिकार दे दिया जाये । स्वैच्छिक अधिकार प्रदान करना उचित नहीं है, क्योंकि हमें यह पता है कि बड़े बड़े व्यापारिक उद्योग गृह किस प्रकार इन नियन्त्रकों को प्रभावित कर लेते हैं । वाणिज्यिक दृष्टि से किसी के लिए पेटेन्ट से लाभ उठाने हेतु सात वर्ष की अवधि बहुत लम्बी है और यदि कोई व्यक्ति इससे सात वर्ष में लाभ नहीं उठा सकता, तो अन्य चार वर्षों में भी वह लाभ नहीं उठा सकता ।

श्री दिनेश सिंह : यह कारण कि कम्पनी वाणिज्यिक उपयोग करने में समर्थ नहीं है, अत: अधिक समय दिया जाये वास्तव में समूचे मामले पर ध्यान देने से यह विचार उचित प्रतीत नहीं होता, क्योंकि यदि एक बड़ी कम्पनी वाणिज्यिक उपयोग करने में समर्थ नहीं है, तो किसी अन्य कम्पनी द्वारा उसका उपयोग किये जाने की भी कोई सम्भावना नहीं है और इस प्रकार यह अन्तर बना रहेगा ।

न्यायाधीश आयोग ने सिफारिश की है कि वृद्धि करने की व्यवस्था को समाप्त कर दिया जाय । ब्रिटेन की बैंक समिति की जुलाई 1970 में प्रकाशित रिपोर्ट में सुझाव दिया गया है कि अवधि में वृद्धि करने की व्यवस्था को समाप्त किया जाय । अमेरिका, जर्मनी, स्विट्जरलैण्ड, हालैण्ड और बेल्जियम ही नहीं, बल्कि पोलैण्ड, चैकोस्लोवाक्या और रूमानिया में भी वृद्धि की कोई व्यवस्था नहीं है । हमें अपने देश की परिस्थितियों के अनुसार ही अपने दृष्टिकोण का निर्धारण करना है ।

इस प्रकार की वृद्धि करने के लिए मानदण्ड निर्धारित करना भी लगभग असम्भव होगा और अवांछनीय कानूनी प्रश्न उपस्थित होंगे जिससे विलम्ब होगा ।

उपाध्यक्ष महोदय द्वारा संशोधन संख्या 5

मतदान के लिए रखा गया
Amendment No. 5 was put

लोक सभा में मत विभाजन हुआ
The Lok Sabha divided

पक्ष में 18
Ayes 18

विपक्ष में 133
Noes 133

प्रस्ताव अस्वीकृत हुआ
The motion was negatived

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

'कि खण्ड 54 से 63 तक विधेयक के अंग बनें।'

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ
The motion was adopted

खण्ड 54 से 63 तक विधेयक में जोड़ दिये गये
Clauses 54 to 63 were added to the bill

खण्ड 64

श्री नन्द कुमार सोमानी : मैं अपना संशोधन सं० 6 प्रस्तुत करता हूं।

खण्ड 64(1) (ज) में जो शब्द औस्त कौशल और औस्त ज्ञान प्रयुक्त किये गये हैं वे एक वर्ग विशेष से सम्बन्धित और बहुत अस्पष्ट और अनिश्चित हैं। यह एक ऐसी चीज है जिसका दुरुपयोग किया जा सकता है। सुस्पष्टता और संक्षिप्ता के लिए 'औसत' शब्द हटा दिया जाये।

श्री दिनेश सिंह : खण्ड 64(1)(ज) के पीछे भावना यह है कि पेटेन्ट की पूरी जानकारी प्राप्त करने के लिए भारतीय निर्माताओं को अवसर दिया जा सके ताकि वे उत्पादन करने की स्थिति में हो सकें। यह केवल स्पष्टीकरण का प्रश्न है। प्रक्रिया को यथासम्भव पूर्णतया स्पष्ट बनाया जाना चाहिए।

उपाध्यक्ष महोदय द्वारा संशोधन सं० 6 मतदान के लिए रखा गया और अस्वीकृत हुआ
Amendment No. 6 was put and negatived

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है

"कि खण्ड 64 विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ
The motion was adopted

खण्ड 64 विधेयक में जोड़ दिया गया
Clause 64 was added to the Bill

खण्ड 65 से 73 तक विधेयक में जोड़ दिये गये
Clauses 65 to 73 were added to the Bill

खण्ड 74

Shri Shiv Chandra Jha: Mr. Deputy Speaker, Sir, I would like to say a few words in regard to my amendment No. 23 on clause No. 74.

Such clause (3) of clause 74 says "The head office of the patent office shall be at such place as the Central Government may specify, and for the purpose of facilitating the registration of patent, there must be established at such other places, as the Central Government may think fit, branch office of the patent office".

My amendment is "Provided there is at least one such office in each state".

It is right that the head office of the Patent office shall be at such place, as the Central Government may specify. But this may lead to malpractices and discrimination. Therefore, in order to ensure against discrimination provision should be made that there shall be at least one office of Patent in each state.

Sh. Dinesh Singh: There is no provision in the Bill that there can be no office of the state at the centre. The question at the moment is that the head office at the Centre is to be strengthened and made strong. We are to provide for new responsibilities that are coming up. If we agree to the proposals made by Shri Shiv Chandra Jha we should have to establish offices at once in all the states. At present, there are not so many patents coming far from the states as to provide office facilities there.

Shri Shiv Chandra Jha: Four thousand cases are pending.

Shri Dinesh Singh: If the Hon. Member is able to arrange enough patents in Bihar to justify an office to be established there, we would definitely do so.

उपाध्यक्ष महोदय द्वारा संशोधन सं० 23 मतदान के लिए रखा गया तथा अस्वीकृत हुआ
The amendment No. 23 was put and negatived

उपाध्यक्ष महोदय: प्रश्न यह है

"कि खण्ड 74 विधेयक का अंग बने ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ
The motion was adopted

खंड 74 विधेयक में जोड़ दिया गया
Clause 74 was added to the Bill

खंड 75 से 83 तक विधेयक में जोड़ दिए गए
Clauses 75 to 83 were added to the Bill

Clause 83A (New)

Shri Kanwar Lal Gupta : I beg to move my amendment No. 38.

My amendment is to insert a new clause after clause 83. I do not think the Hon. Minister would object to it. He would agree with me that a sufficient number of patents have been registered, but have never been implemented. In the report of the Expert Committee on Patents, it was admitted that the foreigners in many places registered the patent in India, but thereafter they slept over it, so that no body here could work on it.

I have suggested that the period of seven years should be reduced to 3 years. After three years the Government should see whether they are working properly or not. If anybody failed to do the work, his patent right should be scrapped. After three years, the Government can see how much development has taken place. I hope that the Minister will accept my amendment.

Shri Dinesh Singh : The points raised by the Hon. Member are included in the Bill. There it is clearly stated that in case the patent is not utiiised, it will be revoked. The Controller has been empowered to ask for the information and if necessary to revoke the patent. The spirit of the argument put forward by the Member is inherent in the Bill. There is no need of including anything new for this purpose.

उपाध्यक्ष महोदय द्वारा संशोधन सं० 38 मतदान के लिए रखा गया और अस्वीकृत हुआ
The amendment No. 38 was put and negatived

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :
"कि खंड 84 से 86 विधेयक का अंग बने ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ
The motion was adopted

खंड 84 से 86 तक विधेयक में जोड़ दिए गए
Clauses 84 to 86 were added to the Bill

खण्ड 87

श्री नन्द कुमार सोमानी : मैं अपने संशोधन सं० 7 और 8 प्रस्तुत करता हूं ।

डा० सुशीला नैयर : मैं अपना संशोधन सं० 30 प्रस्तुत करती हूं ।

खण्ड 87 की भाषा स्पष्ट नहीं है । मेरे संशोधन में स्पष्टीकरण किया गया है । हम चाहते हैं कि अधिकार की अनुज्ञप्ति प्रारम्भ से ही हो । अगर पेटेन्ट के सील होने के तीन वर्ष बाद अधिकार की अनुज्ञप्ति दी जाती है, तो यह अर्थहीन होगा; क्योंकि समय अनुसूचियों के अनुसार, जो विभिन्न खंडों में दी गई हैं, पेटेन्ट को सील करने में तीन-चार वर्ष लग जाते हैं । उदाहरणार्थ, परीक्षक रिपोर्ट देने में 18 महीने का समय लगा लेता है, पूर्ण विवरणों के देने और आवेदन-पत्रों की आपत्तियों को दूर करने में कुल 10 महीने की अवधि लगती है । कुछ अन्य खंडों में 4 तथा 6 महीने की अवधि दिए जाने की व्यवस्था है । यह सब मिलाकर न्यूनतम 44 महीने और अधिकतम 54 अथवा उससे भी अधिक होते हैं । इस प्रकार, यदि अधिकार की अनुज्ञप्ति प्रारम्भ होने से तीन वर्ष बाद दी जाती है, तो किसी व्यक्ति द्वारा पेटेन्ट का लाभ उठाने से पूर्व ही पेटेन्ट की 7 वर्ष की अवधि पूरी हो जाएगी ।

श्री नन्द कुमार सोमानी : हमने यह अनेक बार कहा है कि तीन वर्ष की अवधि अत्यधिक कम है, इसलिए इसे 5 वर्ष कर दिया जाए । यह अनुसंधान के विकास में सहायक होगा और अवधि बढ़ाना देश हित में होगा ।

श्री नम्बियार : मैं डा० सुशीला नैयर द्वारा प्रस्तुत संशोधन का समर्थन करता हूं । अधिकार की अनुज्ञप्ति व्यवहारत: अर्थहीन हो जाएगी, क्योंकि तब सात वर्ष की अवधि समाप्त हो जाएगी । संशोधन विधेयक की भावना के अनुरूप है और इसलिए इसे स्वीकार कर लिया जाना चाहिए ।

श्री दिनेश सिंह : दो प्रकार के विचार व्यक्त किए गए हैं । एक यह कि हमें इसे बढ़ा कर 3 वर्ष से 5 वर्ष कर देना चाहिए और दूसरा यह कि हमें इस तीन वर्ष की अवधि को समाप्त कर देना चाहिए ।

प्रवर समिति ने इस विषय की विस्तार से जांच की है और समिति ने विभिन्न दृष्टिकोणों को ध्यान में रखते हुए सर्वसम्मति लाने का प्रयास किया है । अन्तिम विश्लेषण में हमने यह महसूस

किया कि हमें प्रवर समिति के विचारों को स्वीकार कर लेना चाहिए। हमारे विचार में, फिलहाल तीन वर्ष की अवधि बनाए रखना उपयोगी होगा और हम इस बात को देखें कि इसके क्या परिणाम होते हैं। यदि कोई कठिनाई होती है, तो हम उस पर बाद में विचार कर सकते हैं।

उपाध्यक्ष महोदय द्वारा संशोधन सं० 7, 8 और 30 मतदान के लिए रखे गए और अस्वीकृत हुए

Amendment Nos. 7, 8 and 30 were put and negatived

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खण्ड 87 विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

The motion was adopted

खण्ड 87 विधेयक में जोड़ दिया गया

Clause 87 was added to the Bill

खण्ड 88

डा० सुशीला नैयर : मैं अपने संशोधन सं० 31 और 32 प्रस्तुत करती हूं।

श्री कंवर लाल गुप्त : मैं अपना संशोधन सं० 39 प्रस्तुत करता हूं।

श्री प्र० रं० ठाकुर : मैं अपना संशोधन सं० 55 प्रस्तुत करता हूं।

श्री नारायण दाण्डेकर : मैं अपने संशोधन सं० 9 और 10 प्रस्तुत करता हूं।

श्री शिव चन्द्र झा : मैं प्रस्ताव करता हूं कि :

पृष्ठ 43, पंक्ति 30 में—'five' "पांच" के स्थान पर 'four' "चार" रखा जाए (सं० 23)।

श्री नन्द कुमार सोमानी : खण्ड 88 अनेक कारणों की वजह से आपत्तिजनक है। इस विधेयक के अनुसार भारत के किसी भी नागरिक को, भले ही उसकी अर्हता अथवा योग्यता कुछ भी क्यों न हो, एक विशेष पेटेन्ट के अनुसार कार्य करने का अधिकार होगा। अब यह निश्चित है कि सरकार का यह इरादा नहीं हो सकता कि वह एक विशेष प्रक्रिया को अपनाए। हम खाद्य, औषधि और दवाइयों के क्षेत्र में अवश्य ही आपत्ति करनी चाहिए। इन क्षेत्रों में हमारा पहले से ही उच्च स्तर है और हमें उसे कायम रखना होगा।

[अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए
Mr. Speaker *in the Chair*]

अतः यह निश्चित रूप से देश के औद्योगिक विकास के हित में नहीं है।

पेटेण्ट्स प्रणाली इस प्रकार की होनी चाहिए, जिससे देशी और स्थानीय उद्योगों को प्रोत्साहन मिले। सरकार और नियन्त्रक अपना यह समाधान करने की शक्ति से वंचित हो गए हैं कि एक विशेष आवेदक अथवा एक व्यक्ति विशेष या फर्म के पास, जो इस क्षेत्र में आना चाहता

है, आवश्यक तकनीकी जानकारी, विशिष्ट ज्ञान, व्यावसायिक परामर्श तथा धन है भी अथवा नहीं। मेरे विचार में यह अनुचित है। पेटेन्टधारी को जो मुआवजा दिया जाता है वह निरंकुश ढंग से तथा सांविधिक रूप से अधिकतम प्रतिशत पर निर्धारित किया गया है, जो ऐसी चीजों के विकास के विरुद्ध होगा।

पेटेन्ट्स कानून में संशोधन करने के बारे में न्यायाधीश आयंगर के 1959 के प्रतिवेदन (पृष्ठ 233) की ओर मन्त्री महोदय का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। उनका यह निष्कर्ष था कि जहां तक अन्वेषणों से सम्बन्धित खण्ड का सम्बन्ध है; खाद्य, औषधि और दवाइयों तथा अन्य बहुमूल्य उत्पादों के बारे में अन्वेषण करने की उन्हीं व्यक्तियों को अनुमति दी जाए, जो पूर्णतया योग्य हों। इसलिए, उनका यह प्रस्ताव था कि "अधिकारों की अनुज्ञप्ति" प्रदान करने से पूर्व सरकार को आवेदकों की जांच पड़ताल करनी चाहिए।

Shri Shiva Chandra Jha : My amendment to clause 88 seeks to replace 5 per cent by 2 per cent, because 5 per cent is on very high side. But since I understand that the Government is going to make it 4 per cent in clause 100, I would like to present my amendment in a modified form so that there may not be any contradiction. I would, therefore, like to move that in place of 5 per cent, 4 per cent may be substituted.

डा० सुशीला नैयर : मैं श्री सोमानी के संशोधन का विरोध करती हूं। उनका यह कहना है कि इस खंड के उपबन्धों के अधीन कोई भी व्यक्ति और हर व्यक्ति औषधियों का निर्माण कर सकता है। वास्तविकता यह है कि कुछ अन्य अधिनियम हैं जो औषधियों के उत्पादन पर नियन्त्रण रखते हैं। यद्यपि अधिकार की अनुज्ञप्ति का उपबन्ध पिछले 50 वर्षों से लागू है, परन्तु एक भी मामला ऐसा नहीं है जिसमें अधिकार की अनुज्ञप्ति का लाभ उठाया गया हो। इसके अतिरिक्त औषधि नियन्त्रक के पास पहले से ही काफी काम है और उस पर आवेदन-पत्रों की जांच करने तथा शर्तें निर्धारित करने का बोझ डालना उचित नहीं होगा। इसी ओर इन अधिकारियों को अनावश्यक ही भ्रष्टाचार के आरोपों का शिकार बनना पड़ेगा।

अब मैं अपने संशोधन पर आती हूं। यह काफी तर्कसंगत संशोधन है। 94 और 95 खण्डों के उपबन्धों को स्वत: ही खण्ड 88 पर लागू करना उचित नहीं है। खण्ड 95(ख) के अनुसार किसी भी व्यक्ति को 'अधिकार' की अनुज्ञप्ति का अधिकार प्रयोग करने से रोका जा सकता है और इस खण्ड का वही प्रभाव होगा जो 1911 के अधिनियम का रहा है।

95(1) खण्ड में यह कहा गया है कि खाद्य सामग्रियों और औषधियों के लिए 'रायल्टी अथवा अन्य पारिश्रमिक, यदि कोई हो तो' उसकी जांच की जाएगी। औषधियों और खाद्य वस्तुओं के लिए पूर्ववर्ती खण्ड में रायल्टी की अधिकतम दर पहले ही 5 प्रतिशत निर्धारित की गई है, अत: इसे इस खण्ड पर लागू करने से अनावश्यक रूप से ही भ्रम पैदा होता है। अत: खण्ड 95(1)(i) को समाप्त कर दिया जाए। उप-खण्ड (ii) में यह कहा गया है कि "पेटेन्ट-प्राप्त आविष्कार का उस व्यक्ति द्वारा पूर्ण उपयोग किया जाता है जिसे लाइसेन्स प्रदान किया जाता है और उसे उचित लाभ भी मिले।" जिसे लाइसेन्स प्राप्त हो, वह बिना लाभ के अथवा उचित लाभ के साथ उस पर कार्य कर सकता है। वह सस्ती दवाओं का उत्पादन करने के लिए

उस पर कार्य कर सकता है और उसे उसमें ही सन्तोष प्राप्त होगा । उचित लाभ कमाने के लिए जिद करना सरकार के लिए वांछनीय नहीं है । इसलिए मेरे संशोधन में यह कहा गया है कि :

"जब किसी पेटेन्ट का 'अधिकार की अनुज्ञप्तियों' शब्दों से पृष्ठांकन किया जाता है, तो कोई भी वह व्यक्ति जो पेटेन्ट-प्राप्त अनुसन्धान के लिए भारत में कार्य करने में रुचि रखता है, तो इस प्रकार के पृष्ठांकन के बाद किसी भी समय पेटेन्टधारी और आवेदक के मध्य पारस्परिक रूप में स्वीकृत शर्तों के अन्तर्गत आवेदक को लाइसेन्स प्राप्त करने का अधिकार होगा ।"

अतः खण्ड 94(ख) और 95 (1)(i) तथा (ii) को उपरोक्तलिखित कारणों की वजह से समाप्त कर दिया जाए ।

Shri Kanwar Lal Gupta : My amendment is that 5 per cent may be reduced to 3 per cent and that it could be extended to 4 per cent. I think that the 5 per cent provided for here is the maximum, that is, it could be less then that also. According to my amendment, the maximum would be 4 per cent in place of 5 per cent. Since the population of India was 50 crores, there would be large-scale sale on the factory price. Considering that, 5 per cent royalty would be too much. As a matter of fact, it was 4 per cent in the original Bill also, but the Select Committee made it 5 per cent unanimously when some Members were absent. A majority of Members desire that it should be put at 4 per cent.

श्री नम्बियार: मैं श्री कंवर लाल गुप्त और श्री शिव चन्द्र झा के संशोधनों का समर्थन करना चाहता हूं । चार प्रतिशत मुझे स्वीकार है । कारण यह है कि मूल विधेयक में यह चार प्रतिशत ही था, परन्तु संयुक्त समीति में एक वोट के बहुमत से इसे पांच प्रतिशत कर दिया गया था ।

श्री दिनेश सिंह : श्री सोमानी ने यह शंका व्यक्त की है कि अधिकार की अनुज्ञप्ति के कारण अनेक व्यक्ति ऐसे माल के लिए पेटेन्ट ले सकेंगे तथा ऐसा माल बना सकेंगे जिनकी उनके पास कोई योग्यता अथवा विशेष जानकारी न हो । माननीय सदस्य देश की औद्योगिक लाइसेन्सिंग प्रणाली से अवगत हैं और इसलिए वह इससे भी अवगत हैं कि किसी भी व्यक्ति के लिए किसी वस्तु का उत्पादन आरम्भ करने के लिए पेटेन्ट कार्यालय से पेटेन्ट प्राप्त करना ही पर्याप्त नहीं होता । उस व्यक्ति को औद्योगिक लाइसेन्स के लिए आवेदन करना होगा । दवा, औषधि तथा रासायनिक पदार्थों आदि के सम्बन्ध में औद्योगिक लाइसेन्स हेतु आवेदन देने के लिए किसी भी व्यक्ति को औषधि तथा रसायन अधिनियम अथवा खाद्य अपमिश्रण निवारण अधिनियम के अन्तर्गत लाइसेन्स प्राप्त करना होता है । इसलिए पेटेन्ट की मुद्रित प्रति मिलने से उसे निर्माण करने का अधिकार प्राप्त नहीं हो जाता । किसी विशिष्ट व्यावसायिक संस्था अथवा उद्यमकर्ता के पास निर्माण करने की विशिष्ट जानकारी है अथवा नहीं, इस बात का निर्णय पेटेन्ट नियन्त्रक द्वारा नहीं किया जा सकता । इसका निर्णय औद्योगिक विकास मन्त्रालय और लाइसेन्स समिति में किया जाना चाहिए, जहां विशिष्ट ज्ञान वाले व्यक्ति हैं जो उनकी क्षमता और योग्यता की जांच कर सकते हैं ।

डा० सुशीला नैयर द्वारा व्यक्त किये गये विचारों से मैं पूर्णतया सहमत हूं, परन्तु मैं यह कहना चाहता हूं कि इन सब बातों का इस विधेयक में ध्यान रखा गया है । 1911 के अधिनियम में अधिकार की अनुज्ञप्ति केवल सरकार को ही दी गई थी, जबकि इस विधेयक में प्रत्येक व्यक्ति को यह अधिकार दिया गया है ।

जिस व्यक्ति को भी अधिकार की अनुज्ञप्ति प्राप्त हो जायेगी, उसे ही इन पेटेन्टों का अधिकार तथा उसका लाभ मिलने लगेगा। पेटेन्ट कराने वाले व्यक्ति को जो विशेषधिकार प्राप्त होंगे, उनका उल्लेख खण्ड 94 में किया गया है। इस प्रकार लाइसेन्स लेने वाले को वे अधिकार प्राप्त हो जायेंगे, इसलिए अन्य लोग आवेदन पत्र ही नहीं देंगे। जिस व्यक्ति को लाइसेन्स मिल जायेगा, वह बिना किसी रुकावट के इन चीजों का उत्पादन कर सकेगा, परन्तु पेटेन्ट की निर्धारित अवधि तक ही उसे रायल्टी प्राप्त हो सकेगी। इसलिए यह आशंका होनी ही नहीं चाहिए कि किसी प्रकार की कठिनाई सामने आयेगी। औद्योगिक लाइसेन्स और तकनीकी जानकारी प्राप्त होने पर वह कार्य प्रारम्भ कर सकेगा।

रायल्टी की सीमा 5% के स्थान पर 4% करने के लिए सरकार सहमत है।

अध्यक्ष महोदय द्वारा संशोधन सं० 9 और 10 मतदान के लिए रखे गये तथा अस्वीकृत हुए
The amendment Nos. 9 and 10 were put and negatived

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है कि :

"पृष्ठ 43, पंक्ति 30 में, '(five)' ("पांच") के स्थान पर '(four)' "चार" संशोधित रूप में रखा जाये।" (24)

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।
The motion was adopted

अध्यक्ष महोदय द्वारा संशोधन सं० 31 और 32 मतदान के लिए रखे गये तथा अस्वीकृत हुए
The amendment Nos. 31 and 32 were put and negatived

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खण्ड 88 संशोधित रूप में, विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।
The motion was adopted

खण्ड 88, संशोधित रूप में, विधेयक में जोड़ दिया गया
Clause 88, as amended, was added to the Bill

खण्ड 89—99 विधेयक में जोड़ दिये गये
Clauses 89--99 were added to the Bill

खण्ड 100

श्री शिव चन्द्र झा : मैं प्रस्ताव करता हूं कि :

पृष्ठ 50 पंक्ति 3 में '(five)' "[पांच]" के स्थान पर '(four)' "[चार]" रखा जाये। (25 संशोधित रूप में)

श्री एस० कण्डप्पन : मैं प्रस्ताव करता हूं कि :

"पृष्ठ 50, पंक्ति 3 में—"five" [पांच] के स्थान पर "four" [चार] रखा जाये ।" (सं० 46)

रायल्टी की सीमा प्रारम्भ से ही 5% पर निर्धारित करना ठीक नहीं है । अगर आवश्यकता पड़े, तो सरकार बाद में संसद द्वारा इसमें संशोधन करवा सकती है ।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है कि :

"पृष्ठ 50 पंक्ति 3 में—"five" [पांच] के स्थान पर "four" [चार] (संशोधित रूप में) रखा जाये ।" (25)

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ
The motion was adopted

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खण्ड 100, संशोधित रूप में, विधेयक का अंग बने ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ
The motion was adopted

खण्ड 100 संशोधित रूप में, विधेयक में जोड़ दिया गया
Clause 100, as amended, was added to the Bill

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खण्ड 101 से 106 विधेयक का अंग बने ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ
The motion was adopted

खण्ड 101 से 106 विधेयक में जोड़ दिये गये
Clauses 101 to 106 were added to the Bill

खण्ड 107

डा० सुशीला नैयर : मैं प्रस्ताव करती हूं कि :

"पृष्ठ 54 :—'(Lines 39 to 43)' [39 से 43 पंक्तियों] को हटा दिया जाये ।" [सं 34]

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है कि :

"पृष्ठ 54 पर, '(Lines 39 to 43)' [39 से 43 पंक्तियों] को हटा दिया जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

The motion was adopted

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खण्ड 107, संशोधित रूप में, विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

The motion was adopted

खण्ड 107, संशोधित रूप में, विधेयक में जोड़ दिया गया

Clause 107, as amended, was added to the Bill

खण्ड 108 से 123 विधेयक में जोड़ दिये गये

Clauses 108 to 123 were added to the Bill

Shri Shiva Chandra Jha : I beg to move my amendment No. 26.

On page 59—*omit* lines 16 to 19. "Provided that nothing-contained in this sub-section shall render any such person liable to any punishment if he proves that the offence was committed without his knowledge or that he exercised all due diligence to prevent the commission of such offence."

Mr. Speaker, Sir, my amendment seeks to delete this provision, as it is completely superfluous. Suppose an offence is committed under it. The person charged proves that the offence was committed without his knowledge and he did not commit the offence. But when the matter goes to the court, it finds the man guilty. Thus, howsoever that person might say that he had not committed the offence. It was the court that will decide. If this proviso was retained, he could be acquitted in spite of the court's findings. It was necessary that any body who violated the law should be punished through the court. Therefore, this proviso should be deleted. The offender will always say that he had not committed the offence and if this proviso was retained, he would got acquitted.

श्री दिनेश सिंह : कम्पनियों द्वारा किये जाने वाले अपराधों के लिए यह एक मानक उपबन्ध है। यह संसद द्वारा पारित एक अन्य अधिनियम की भावना के अनुरूप है। हम इस बात की व्यवस्था कर रहे हैं कि निर्णय लेने के लिए जिम्मेदार व्यक्तियों को ही पकड़ा जाए, न कि कार्यान्वयन करने वाले निरपराध व्यक्तियों को हम न्यायालय से उसका अधिकार नहीं छीन रहे हैं।

Shri Shiva Chandra Jha : The Minister has stated that blame could be passed on to the innocent officers. But those officers would not be innocent ; they would be very clever. They would have many ways to get out. Therefore, when the Hon. Minister agrees that the court will give the judgement, he should delete this proviso.

अध्यक्ष महोदय द्वारा संशोधन संख्या 26 मतदान के लिए रखा गया और अस्वीकृत हुआ

The amendment No. 26 was put and negatived

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खण्ड 124 विधेयक का अंग बने ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।
The motion was adopted

खण्ड 124 विधेयक में जोड़ दिया गया ।
Clause 124 was added to the Bill

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खण्ड 125 से 137 विधेयक का अंग बने ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।
The motion was adopted

खण्ड 125 से 137 विधेयक में जोड़ दिये गये
Clauses 125 to 137 were added to the Bill

Shri Shiva Chandra Jha : I beg to move my amendment No. 27.

On page 64, line 11—After 'English'/insert 'and Hindi' (27)

My amendment is quite simple and clear. The provision is that the documents in a foreign language will be translated into English. According to my amendment, they should be translated into Hindi also.

Shri Dinesh Singh : We do not have arrangement for that. If we make such a provision, it would be difficult to implement the Bill. However, I want to tell the Hon. Member, that it would be our effort to translate a document in Hindi also, together with English, as far as possible.

अध्यक्ष महोदय द्वारा संशोधन सं 27 मतदान के लिए रखा गया और अस्वीकृत हुआ
The amendment No. 27 was put and negatived

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खण्ड 138 विधेयक का अंग बने ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ
The motion was adopted

खण्ड 138 विधेयक में जोड़ दिया गया ।
Clause 138 was added to the Bill.

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

कि खण्ड 139 से 141 विधेयक के अंग बने ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।
The motion was adopted

खण्ड 139 से 141 विधेयक में जोड़ दिये गये ।
Clauses 139 to 141 were added to the Bill

खण्ड 142

श्री चपलाकान्त भट्टाचार्य : मैं प्रस्ताव करता हूं कि :

"पृष्ठ 66 पंक्ति 10 में 'the application for Patent' [पेटेन्ट के लिए आवेदन पत्र] के स्थान पर 'filing of the complete specification' ['पूर्ण विवरण प्रस्तुत करने]'रखा जाये [57]

"पृष्ठ 66 पंक्ति 12 में—'(recordel)' ['रिकार्डल'] के स्थान पर 'recarding' ['रिकार्डिग'] रखा जाए ।" [सं० 58]

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है कि :

पृष्ठ 66 पंक्ति 10 में—'the application for Patent' ['पेटेण्ट के लिए आवेदन पत्र'] के स्थान पर 'filing of the complete specification [पूर्ण विवरण प्रस्तुत करने'] रखा जाय ।"[57]

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ
The motion was adopted

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है कि :

पृष्ठ 66, पंक्ति 12 में ('Recardel') ['रिकार्डल'] के स्थान पर recording (रिकार्डिग) किया जाय" (58)

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ
The motion was adopted

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खण्ड 142, संशोधित रूप में, विधेयक का अंग बने ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।
The Motion was adopted

खण्ड 142 संशोधित रूप में, विधेयक में जोड़ दिया गया
Clause 142, as amended, was added to the Bill

खण्ड 143 से 163 विधेयक में जोड़ दिये गये
Clauses 143 to 163 were added to the Bill

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि अनुसूची, खण्ड ।, अधिनियमन सूत्र और विधयक का नाम विधेयक का अंग बने ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।
The motion was adopted.

अनुसूची, खण्ड 1, अधिनियमन सूत्र और विधेयक का नाम विधेयक में जोड़ दिये गये
The Schedule, clause 1, the Enacting Formula and the title were added to the Bill

श्री दिनेश सिंह : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि विधेयक को, संशोधित रूप में, पारित किया जाये ।"

अध्यक्ष महोदय : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ :

"कि विधेयक को, संशोधित रूप में, पारित किया जाये ।"

डा० सुशीला नैयर : इस विधेयक के पारित हो जाने के बाद भी यह आवश्यक नहीं है कि जिन कठिनाईयों की वजह से यह विधेयक लाया गया है, वे दूर हो ही जायें । इसके द्वारा सरकार को कुछ कार्यवाही करने का अधिकार मिल गया है । अब देखना यह है कि सरकार इसे कैसे कार्यन्वित करती है । सरकार अभी से इसके सम्बन्ध में आवश्यक कार्यवाही कर लेनी चाहिए, ताकि इस विधेयक के कानून बन जाने के तुरन्त बाद कार्यवाही करके औषधियों की कीमतों तथा अनुपलब्धता सम्बन्धी जनता की कठिनाईयों को दूर किया जा सके ।

Shri Beni Shanker Sharma : There can be no two opinions about the importance of this Bill. It was first mooted out in 1948, conceived in 1953 and has matured in 1970. I am thankful to those who have a hand in getting this Bill passed. But I cannot give the credit to Shri Dinesh Singh who piloted the Bill or to Nambiar and others whose efforts have made it possible for the Measure to be taken up ; my thanks are due to Dr. Triguna Sen whose drug control order led to increase in drug prices and as a result of which this Patents Bill had to be taken up.

I am not satisfied with the views expressed by the Hon. Minister in regard to certain clauses speaking on clause 48, he had observed that the rights given under the old Act of 1911 were gradually eroding. May I ask him : Are not the Privy Purses and privileges of the princes also not eroding. Are not the Privileges of the I.C.S. not eroding. There was, therefore, no reason why he should wait for these rights given to foreigners under the Patent Act to erode gradually. These rights also be abolished rightway. Our Party was against the foreigners retaining such rights here. We are for nationalisation of foreign companies, foreign tea plantation, foreign trade. Therefore, we want that whichever foreign companies are benefiting out of our Patent law should be nationalised without delay. We just now heard an Hon. member saying that 89 per cent benefit of the patent law was reaped by foreign companies; but we have made no provision in this Bill where these companies were not able to get that advantage. At least this patent measure should not apply to foreign companies, that is, the foreigners should have no rights of patent in regard to medicines or any other thing. Our Indian inventors alone should benefit from it.

One thing more. It is a long time since 1948 when this measure has been brought forward. At least now we should see to it that the Indian inventors got the benefit of the patent law. Our friends in the Swatantra Party spoke of compensation to those who had spent money in inventions. I am not of that opinion. The inventors in our country were talented

people ; they worked not for money but for self-contentment. Only capitalists needed money. I want that the inventors should be adequately rewarded and given national awards. There could be some kind of a Noble prize for them through which we may honour them.

With these words, I support the Bill.

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि विधेयक को, संशोधित रूप में, पारित किया जाये ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

The motion was adopted

इसके पश्चात् लोक-सभा सोमवार, 31 अगस्त, 1970 9 भाद्र 1892 (शक) के ग्यारह बजे तक के लिए स्थगित हुई ।

The Lok Sabha then adjourned till Eleven of the clock on monday, August 31, 1970/Bhadra 9, 1892 (Saka)

MGIPNLK—7 Lok Sabha/70—9-1-71—340.